"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मार्च 2018 — चैत्र 6, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9–1/2011/38–2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 682/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2011/7844, दिनांक 23–02–2018 द्वारा आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, ग्राम–चोरहा, आर.आई. सर्किल अहिवारा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 28 से 34 तथा संशोधित परिनियम क्रमांक 3 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 तथा धारा 27 के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों तथा परिनियम को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त अध्यादेश तथा परिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, संयुक्त सचिव.

अध्यादेश क्रमांक—28

च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम व सेमिस्टर प्रणाली

1. **प्रयोज्यताः** यह अध्यादेश उन सभी च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शैक्षणिक कार्यक्रमों, जिनके पूर्ण होने पर स्नातक उपाधि प्रदान की जाएगी, व विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। किसी विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में विशिष्ट बिंदु संबंधित अध्यादेश में दिए गए हैं। नीचे उन उपाधि कार्यक्रमों की सूची दी जा रही है, जो संबंधित संकाय द्वारा संचालित किए जाएंगे।

अ. **कला व मानविकी संकायः**

1 बीए (पास) (पूर्णकालिक)	तीन वर्ष (छः सेमिस्टर)
2 बीए (आनर्स) (पूर्णकालिक)	तीन वर्ष (छः सेमिस्टर)

ब. **वाणिज्य संकायः**

1 बीकाम (पास) (पूर्णकालिक)	तीन वर्ष (छः सेमिस्टर)
2 बीकाम (आनर्स) (पूर्णकालिक)	तीन वर्ष (छः सेमिस्टर)

स. **विज्ञान व तकनीकी संकायः**

1 बीएससी (पास) (पूर्णकालिक)	तीन वर्ष (छः सेमिस्टर)
2 बीएससी (आनर्स) (पूर्णकालिक)	तीन वर्ष (छः सेमिस्टर)

2. **परिभाषाएंः**

अ. **'अर्हकारी परीक्षा'** से अभिप्रेत है, वह परीक्षा, जिसे उत्तीर्ण करने से विद्यार्थी किसी ऐसे विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह हो जाएगा, जिसके पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा उसे स्नातक उपाधि या प्रमाणपत्र यथास्थिति प्रदान किया जा सकेगा।

आ. **'समकक्ष परीक्षा'** से अभिप्रेत है, किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय अथवा यूजीसी अथवा/और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या संबंधित सांविधिक प्राधिकारी, जो भी लागू हो, के द्वारा आयोजित परीक्षा, जिसे विश्वविद्यालय ने अपनी समतुल्य परीक्षा के समकक्ष मान्यता दी हो।

इ. **'अंतराल की अवधि'** से अभिप्रेत है, किसी विद्यार्थी द्वारा जिस शैक्षणिक संस्थान (कोचिंग संस्थानों को छोड़कर) में अंतिम बार अध्ययन किया हो, द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र की तिथि व विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की तिथि के बीच की अवधि।

3. **प्रवेश की अहर्ताः**

अ. जहां अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, कोई विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण न कर ली हो।

आ. विश्वविद्यालय के किसी शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक परिषद द्वारा इस हेतु निर्धारित और विवरणिका में प्रकाशित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

इ. किसी पाठ्यक्रम में अधिकतम सीटों का निर्धारण, शैक्षणिक परिषद द्वारा, पर्याप्त भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता और, जहां आवश्यक हो, वहां सांविधिक संस्थाओं द्वारा अनुमोदन के आधार पर किया जाएगा।

ई. प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों का एक निश्चित अनुपात, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से गुणानुक्रम के आधार पर भरा जाएगा, बशर्ते कि वे प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हों। इस तरह की सीटों की संख्या का निर्धारण, शासी निकाय द्वारा, तत्समय प्रचलित राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। अगर राज्य कोटा की सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

उ. प्रत्येक पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से भरी जाने वाली सीटों का निर्धारण, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप किया जाएगा। शासी निकाय द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता मानदंडों को छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु शिथिल किया जा सकेगा।

ऊ. किसी आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा, अगर प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाने के पश्चात भी वे रिक्त बनी रहें।

4. प्रवेश के लिए प्रावधानः

अ. विश्वविद्यालय किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आ. प्रवेश की प्रक्रिया का अनुमोदन, शासी निकाय द्वारा, राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

इ. स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश, शासी निकाय द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति के आधार पर दिया जाएगा। यह प्रवेश नीति यूजीसी व राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगी।

ई. प्रत्येक सेमिस्टर के प्रारंभ में प्रवेश दिए जाएंगे।

उ. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ, अन्य के अतिरिक्त, निम्न दस्तावेज संलग्न होने चाहिएः 1. विद्यार्थी द्वारा जिस अंतिम शैक्षणिक संस्थान में नियमित विद्यार्थी के तौर पर अध्ययन किया गया हो, उसके संस्था प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल अथवा महाविद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र। 2. जिस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के आधार पर विद्यार्थी किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहता हो, उसकी अंकतालिका की विधिवत सत्यापित/स्व–सत्यापित छायाप्रति, मूल प्रति सहित, जिसे सत्यापन के पश्चात विद्यार्थी को लौटा दिया जाएगा। अगर आवेदनकर्ता ने अर्हकारी परीक्षा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो तो उसे दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह सच्चरित्र और उत्तम आचरण वाला है। अगर अभ्यर्थी ने अर्हकारी परीक्षा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अतिरिक्त किसी अन्य मंडल से या इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो तो उसे स्कूल अथवा महाविद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र व स्थानांतरण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानांतरण शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज जाली, बनाया हुआ अथवा छेड़छाड़ किया हुआ पाया गया, तो प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

ऊ. प्रवेश आवेदन पत्र प्रत्यक्ष/काउंसिलिंग/गाईडेंस केन्द्रों/डाक के जरिए अथवा आनलाईन प्रस्तुत किए जा सकेगे। भारत अथवा विदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का इच्छुक हो, विश्वविद्यालय से आनलाईन संपर्क कर सकेगा।

ए. प्रवेश समिति, प्रवेश नीति के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन पत्रों पर विचार करेगी और चयनित अभ्यर्थियों को अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर दर्शाई जाएगी।

ऐ. प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी व उसके माता–पिता अथवा विधिक संरक्षक को इस आशय के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि विद्यार्थी, कुलपति व विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक व आर्थिक देयताओं के संबंध में निर्देशों का पालन करेगा।

ओ. विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रत्येक सेमिस्टर के प्रारंभ होने के पूर्व ऐसी तिथि तक पूर्ण कर ली जावेगी जो प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित की जाए।

औ. अगर प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि या इस हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित की गई तिथि के दिन अवकाश हो, तो उसका अगला कार्यदिवस प्रवेश की अंतिम तिथि माना जाएगा।

अं. विश्वविद्यालय के किसी प्रमाणपत्र/स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन की अधिकतम अवधि, जिसके अंदर विद्यार्थी को शैक्षणिक कार्यक्रम को पूर्ण करना होगा और जिसके पश्चात उसका नामांकन रद्द हो जाएगा, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विनियमों में निर्धारित की जाएगी।

अः. किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश, उस पाठ्यक्रम में उपलब्ध रिक्त सीटों के अधीन होगा और गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाएगा।

क. अगर किसी विद्यार्थी को किसी पाठ्यक्रम में त्रुटिवश प्रवेश दे दिया गया हो तो वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा और उसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. अगर किसी अभ्यर्थी को किसी विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्कासित किया गया हो या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो तब, ऐसे निष्कासन या अयोग्यता की अवधि मे, उक्त विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ग. इस विश्वविद्यालय में नामांकित किसी विद्यार्थी को अगली उच्च कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह इस हेतु निर्धारित मानदंडों को पूर्ण न करे। ये मानदंड, शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप होंगे।

घ. किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरण प्राप्त करने वाले किसी विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने अर्हकारी परीक्षा शासी निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण न की हो।

ङ. उपरोक्त उपखंड घ के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर, किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

च. अगर किसी विश्वविद्यालय ने किसी स्नातक परीक्षा का एक भाग किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया हो तो उसे उक्त परीक्षा के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में अगली उच्च कक्षा में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो।

5 विद्यार्थियों का नामांकनः

अ. प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद, निर्धारित अवधि में, संकायाध्यक्ष/शैक्षणिक समन्वयक निर्धारित प्रारूप में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण, प्रासंगिक मूल दस्तावेजों और शैक्षणिक परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित नामांकन शुल्क सहित कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस विवरण को वेबसाईट पर भी दर्शाया जाएगा।

आ. प्रवेश के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण व माईग्रेशन प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय की संपत्ति बन जाएंगे।

इ. नामांकित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय छोड़ते समय विश्वविद्यालय की मुद्रा के अधीन नए स्थानांतरण व माईग्रेशन प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

ई. कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकेगा जब तक कि उसे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के तौर पर नामांकित न कर दिया गया हो।

उ. अगर कोई विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इस विश्वविद्यालय से माईग्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, तो उसका इस विश्वविद्यालय में नामांकन समाप्त हो जाएगा जब तक कि वह तत्पश्चात उक्त अन्य विश्वविद्यालय से माईग्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त कर इस विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता। ऐसे प्रकरणों में विद्यार्थी का पुनः नामांकन किया जाएगा और उसे नामांकन शुल्क का भुगतान करना होगा।

ऊ. कुलसचिव विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत नामांकित विद्यार्थियों अभिलेख रखेगा।

6. प्रवेश समितिः

1. शैक्षणिक परिषद, प्रवेश के नियमन के लिए प्रत्येक शैक्षणिक संकाय/केन्द्र हेतु प्रवेश समिति का गठन कर सकेगी।

2. प्रवेश समितिः

    1. शैक्षणिक परिषद द्वारा समय–समय पर प्रवेश के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर, प्रवेश आवेदन पत्रों की जांच करेगी।

    2. प्रवेश परीक्षा व/अथवा साक्षात्कार या जैसा भी शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो, आयोजित करेगी।

    3. विश्वविद्यालय के प्रवेश संबंधी मानदंडों के अनुरूप योग्यता गुणानुक्रम सूची तैयार करेगी।

3. शिक्षा का माध्यमः

   विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा।

4. गैर–उपाधि कार्यक्रमः

   प्रबंधन मंडल व शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से विश्वविद्यालय, गैर–उपाधि कार्यक्रम/कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेगा।

   विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु पृथक से अध्यादेश जारी करेगा, जिसमें पाठ्यक्रम के उद्धेश्यों और अपेक्षित परिणामों, प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों, शिक्षण, मूल्यांकन व परीक्षा की

योजना, उत्तीर्ण होने, एक सेमिस्टर से अगले सेमिस्टर में प्रोन्नति व श्रेणी प्रदान करने की शर्तें शामिल होंगी।

7. **अवधिः** कला/विज्ञान/वाणिज्य स्नातक कार्यक्रम छः सेमिस्टर के होंगे। प्रत्येक सेमिस्टर की अवधि छः माह होगी। प्रत्येक सेमिस्टर में सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, जहां आवश्यक हो, वहां प्रायोगिक कार्यक्रम (प्रयोगशाला कार्य, संबंधित सेमिस्टर हेतु निर्धारित क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि) शामिल होंगे। प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक विषय का मूल्यांकन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा सतत मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। पाठ्यक्रम में अंतिम ग्रेड प्रदान किया जाएगा और विश्वविद्यालय, यूजीसी द्वारा अनुशंसित रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम का पालन करेगा। आनर्स व पास, दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। पास पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमिस्टर में चार विषय, अर्थात तीन वर्षों में 24 विषय होंगे। आनर्स पाठ्यक्रम में तृतीय, चतुर्थ, पंचम व षष्ठम सेमिस्टर में एक अतिरिक्त विषय, अर्थात तीन वर्ष में कुल 28 विषय होंगे। छःह सेमिस्टरों आनर्स पाठ्यक्रम में कुल वेटेज 2800 एवं पास पाठ्यक्रम में 2400 होगा।

8. **पात्रताः** पास/आनर्स पाठ्यक्रम के लिए–विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुरूप। कोई भी अभ्यर्थी केवल नियमित विद्यार्थी के रूप में आनर्स या पास पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेगा।

अगर किसी अभ्यर्थी ने प्रथम एवं द्वितीय सेमिस्टर की परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से नियमित अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो और वह इस विश्वविद्यालय से आनर्स/पास पाठ्यक्रम करना चाहता हो, तो उसे तृतीय सेमिस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त करना होगा। उसके द्वारा पहले से पूर्ण किए गए पाठयक्रम का मूल्यांकन विश्वविद्यालय की समिति द्वारा किया जाएगा और तदानुसार उसे अध्ययन कार्यक्रम में क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे।

9. **विषयों का समूहनः**

अ. विज्ञान, कला व वाणिज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए चार विषयों का सामान्य समूह (अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम) अनिवार्य होगा। ये विषय हैं (अ) अंग्रेजी भाषा (द्वितीय व तृतीय सेमिस्टर) (आ) सामान्य हिन्दी (प्रथम सेमिस्टर) (इ) पर्यावरण अध्ययन (चतुर्थ सेमिस्टर) व (ई) कौशल–आधारित पाठ्यक्रम (पंचम/षष्ठम सेमिस्टर)।

आ. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुरूप, पंचम व षष्ठम सेमिस्टरों में छःह ऐच्छिक विषय चुन सकेगा।

इ. आनर्स पाठ्यक्रम में तृतीय, चतुर्थ, पंचम व षष्ठम सेमिस्टरों में चार अतिरिक्त आनर्स प्रश्नपत्र होंगे।

10. **मूल्यांकन पद्वतिः** सैद्धांतिक विषयों के प्रश्नपत्रों के कुल 100 अंक होंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जानी है, वहां 80 अंक सैद्धांतिक भाग और 20 अंक प्रायोगिक भाग के लिए निर्धारित होंगे।

प्रत्येक सेमिस्टर में प्रायोगिक कक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी परंतु प्रायोगिक परीक्षा केवल सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाएगी।

11. **सैद्वांतिक परीक्षाएंः** सैद्वांतिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र की अवधि तीन घंटे की होगी।

12. **प्रायोगिक परीक्षाएंः** प्रायोगिक परीक्षाओं की अवधि वही होगी, जो संबंधित पाठ्यक्रम की विवरण पुस्तिका में दर्शाई गई हो।

13. कक्षाओं व परीक्षाओं की समय सारिणी:
शैक्षणिक समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शैक्षणिक केलेंडर/विश्वविद्यालय की अधिसूचनाओं के अनुरूप।

14. परीक्षा का स्वरूप:

1. सैद्धांतिक:

प्रत्येक प्रश्नपत्र के तीन भाग होंगे।

अ. भाग 'ए' में बहुविकल्पीय प्रश्न या/और रिक्त स्थान भरो प्रश्न होंगे। इस भाग का अधिमान 15 प्रतिशत होगा।

आ. भाग 'बी' में अनुप्रयोग–आधारित प्रश्न होंगे, जिनके संक्षिप्त उत्तर अपेक्षित होंगे। इस भाग का अधिमान 30 प्रतिशत होगा।

इ. भाग 'सी' में ऐसे प्रश्न होंगे जिनके विस्तृत/विवरणात्मक उत्तर अपेक्षित होंगे। इस भाग का अधिमान 55 प्रतिशत होगा।

ई. सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि उनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न हों।

2. प्रायोगिक:

प्रायोगिक परीक्षा में अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा:

परीक्षा	अधिकतम अंक
प्रयोगशाला नोटबुक/प्रोजेक्ट	20
मौखिक परीक्षा	20
प्रयोग	60
योग	**100**

विद्यार्थी के प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्त अंकों से जोड़कर उसके अंतिम ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

अ. विषम संख्या वाले सेमिस्टर (प्रथम सेमिस्टर) की परीक्षा में विद्यार्थी पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप, केवल विषम संख्या वाले सेमिस्टर (प्रथम सेमिस्टर) के प्रश्नपत्रों में सम्मिलित हो सकेगा।

आ. सम संख्या वाले सेमिस्टर (द्वितीय सेमिस्टर) की परीक्षा में विद्यार्थी पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप, केवल सम संख्या वाले सेमिस्टर (द्वितीय सेमिस्टर) के प्रश्नपत्रों में सम्मिलित हो सकेगा।

15. **परिणामः** विश्वविद्यालय, यूजीसी द्वारा अनुशंसित रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम का पालन करेगा और अंतिम लेटर ग्रेड इस प्रकार दर्शाए जाएंगेः

लेटर ग्रेड	अंतिम परिणाम का वर्गीकरण	ग्रेड अंक
O	Out Standing	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

नोटः ग्रेड 'एफ' प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा।

श्रेणी का निर्धारणः

सीजीपीए	श्रेणी
9.00 या उससे अधिक	विशेष योग्यता
6.5 से अधिक परंतु 9.00 से कम	प्रथम श्रेणी
4.00 से अधिक परंतु 6.5 से कम	द्वितीय श्रेणी

सीजीपीए व एसजीपीए की गणनाः

एसजीपीए–सेमिस्टर ग्रेड पाईंट एवरेज

सीजीपीए–क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पाईंट एवरेज

एसजीपीए व सीजीपीए की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + \ldots\ldots}{u_1 + u_2 + u_3 + \ldots\ldots}$$

जहां **u1, u2, u3...** विद्यार्थी के द्वारा लिए गए पाठ्यक्रमों में प्राप्त यूनिट क्रेडिट हैं और **ह1एह2एह3३३** संबंधित पाठयक्रमों में दिए गए लेटर ग्रेड के ग्रेड पाईंट हैं।

इसी प्रकार,एसजीपीए विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट सेमिस्टर में प्राप्त किए गए अंकों और विषयों में प्राप्त किए गए लेटर ग्रेडों का भारित औसत है।

सीजीपीए का अंकों के प्रतिशत में परिवर्तनः
अंकों का प्रतिशत = (सीजीपीए – 0.5) X 10

अ. किसी अभ्यर्थी को पंचम सेमिस्टर में तब तक प्रोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके तृतीय सेमिस्टर के दो से अधिक प्रश्नपत्र बेक हों यद्यपि वह पंचम सेमिस्टर की कक्षाओं में अनंतिम रूप से उपस्थित रह सकेगा। उसे पंचम सेमिस्टर में अंतिम प्रवेश तभी दिया जा सकेगा जब उसके तृतीय और चतुर्थ सेमिस्टर में अधिकतम चार बेक प्रश्नपत्र हों, चाहे उसके प्रथम और द्वितीय सेमिस्टर के बेक प्रश्नपत्रों की संख्या कितनी ही हो।

आ. कियी अभ्यर्थी को षष्ठम सेमिस्टर में तब तक प्रोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके चतुर्थ सेमिस्टर में दो से अधिक बेक प्रश्नपत्र हों। उसे षष्ठम सेमिस्टर में अंतिम प्रवेश, पंचम सेमिस्टर में उसके बेक प्रश्नपत्रों की संख्या कितनी भी होने पर दिया जा सकेगा परंतु उसे षष्ठम सेमिस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमिस्टरों के सभी प्रश्नपत्र उत्तीर्ण कर ले।

इ. किसी अभ्यर्थी को शैक्षणिक कार्यक्रम में उसके प्रवेश के पांच वर्षों के अंदर सभी प्रश्नपत्र उत्तीर्ण करने होंगे।

16. **अन्य दिशानिर्देशः**

अ. पुनर्मूल्यांकन, पूरक अथवा श्रेणी सुधार के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।

आ. आनर्स पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रश्नपत्रों के पूल में से चार प्रश्नपत्र चुनने होंगे। इनमें से एक–एक प्रश्नपत्र का अध्ययन उसे तृतीय, चतुर्थ, पंचम व षष्ठम सेमिस्टर में करना होगा।

इ. विद्यार्थी द्वारा प्रथम सेमिस्टर में चुने गए तीन ऐच्छिक विषयों/पाठ्यक्रमों में से अभ्यर्थी तृतीय सेमिस्टर में प्रवेश के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपना आनर्स विषय परिवर्तित कर सकेगा।

ई. 'क्रेडिट' से आशय है किसी पाठ्यक्रम को दिया गया वेटेज, जो सामान्यतः उसके शिक्षण के लिए निर्धारित अवधि से संबधित होगा।

1. सैद्धांतिक/टयूटोरियल कक्षाओं के लिए एक क्रेडिट 60 मिनिट प्रत्येक के 15 कालखंडों के बराबर होगा।

2. प्रयोगशाला कार्य (प्रायोगिक) के लिए क्रेडिट वेटेज, सैद्धांतिक/टयूटोरियल कक्षाओं की समतुल्य अवधि का 50 प्रतिशत होगा।
3. प्रत्येक सेमिस्टर के लिए क्रेडिट (गैर–प्रायोगिक विषयों/प्रश्नपत्रों के लिए) निम्नानुसार होगा।

सेमिस्टर	100 अंकों के प्रत्येक पाठ्यक्रम (प्रश्नपत्र) के लिए क्रेडिट	सेमिस्टर (पास पाठ्यक्रम) के कुल क्रेडिट	सेमिस्टर (आनर्स पाठ्यक्रम) के कुल क्रेडिट
1	5	20	20
2	5	20	20
3	5	20	25
4	5	20	25
5	5	20	25
6	5	20	25
योग		120	140

17. **आंतरिक मूल्यांकन (नियमित विद्यार्थियों के लिए):**

सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के लिए आंतरिक टेस्टों में सम्मिलित होना अनिवार्य है और ये निम्नानुसार आयोजित किए जाएंगे:

विषम सेमिस्टर (प्रथम सेमिस्टर)

प्रथम टेस्ट – सितंबर

द्वितीय टेस्ट – अक्टूबर

तृतीय टेस्ट – नवंबर

सम सेमिस्टर (द्वितीय सेमिस्टर)

प्रथम टेस्ट – फरवरी

द्वितीय टेस्ट – मार्च

तृतीय टेस्ट – अप्रैल

प्रत्येक टेस्ट 10 अंकों का होगा। टेस्ट में प्राप्त अंकों को विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम ग्रेड प्रदान करने में प्रयुक्त किया जाएगा। प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत अंक आंतरिक टेस्टों में प्राप्त अंकों और 70 प्रतिशत अंक सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।

18. सेमिस्टर व सभी परीक्षाओं में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंडः

अभ्यर्थी की सैद्धांतिक व प्रायोगिक कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए।

19. कक्षाओं/कालखंडों की अवधिः

प्रत्येक सेमिस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में न्यूनतम 60 घंटों का शिक्षण कार्य होगा।

20. प्रोन्नति के नियमः

अ. कोई भी अभ्यर्थी प्रथम सेमिस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद द्वितीय सेमिस्टर की कक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा, चाहे उसके प्रथम सेमिस्टर में कितने ही प्रश्नपत्र बेक हों बशर्ते वह प्रथम सेमिस्टर में सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो।

आ. किसी अभ्यर्थी को तृतीय सेमिस्टर में तभी प्रोन्नत किया जाएगा जब उसके प्रथम सेमिस्टर में दो से अधिक बेक प्रश्नपत्र न हों और वह तृतीय सेमिस्टर की कक्षाओं में अनंतिम रूप से उपस्थित रह सकेगा। उसे तृतीय सेमिस्टर में अंतिम प्रवेश तभी दिया जाएगा जब उसके प्रथम और द्वितीय सेमिस्टर में अधिकतम चार बेक प्रश्नपत्र हों।

इ. किसी अभ्यर्थी को चतुर्थ सेमिस्टर में तभी प्रोन्नत किया जाएगा जब उसके द्वितीय सेमिस्टर में दो से अधिक बेक प्रश्नपत्र न हों और वह चतुर्थ सेमिस्टर की कक्षाओं में अनंतिम रूप से उपस्थित रह सकेगा। उसे चतुर्थ सेमिस्टर में अंतिम प्रवेश तभी दिया जाएगा जब उसके प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेमिस्टरों में अधिकतम चार बेक प्रश्नपत्र हों।

ई. किसी अभ्यर्थी को पंचम सेमिस्टर में तभी प्रोन्नत किया जाएगा जब उसके बेकलाग प्रश्नपत्रों की संख्या दो से अधिक न हो।

उ. किसी अभ्यर्थी को पष्ठम सेमिस्टर में तभी प्रोन्नत किया जाएगा जब उसके बेकलाग प्रश्नपत्रों की संख्या दो से अधिक न हो।

अध्यादेश क्रमांक 29

बी.ए. पाठ्यक्रम की संरचना

1. **उपाधि का नामः** उपाधि का नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स – बी.ए. होगा

2. **संकायः** बी.ए. का स्नातक पाठ्यक्रम, कला व मानविकी संकाय द्वारा संचालित किया जायेगा

3. **शैक्षणिक वर्षः** प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमिस्टर होगें। प्रथम सेमिस्टर – जुलाई से दिसंबर व द्वितीय सेमिस्टर – जनवरी से जून तक होगा।

4. **प्रयोज्यता**

   1. कला में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम (संक्षेप में 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम), तीन वर्ष की अवधि का होगा, जिसे एतत्पश्चात 3 वर्षीय उपाधि कार्यक्रम कहा गया है और इसे बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाएगा।

   2. बी.ए. पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षाएं, विद्यार्थी के ग्रेड व क्रेडिट पर आधारित होंगे।

5. **प्रवेश की पात्रता**

   1. बी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा वह होगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए।

   2. बी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में या शैक्षणिक परिषद द्वारा यथानिर्धारित, दिया जाएगा। प्रवेश नीति का निर्धारण विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

   3. विश्वविद्यालय, बी.ए. पाठ्यक्रम में किसी विद्यार्थी को अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय से स्थानांतरित किए जाने पर प्रवेश दे सकेगा। ऐसा प्रवेश किसी भी स्तर पर दिया जा सकेगा, बशर्ते विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों की पूर्ति करता हो। परंतु, किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   4. विश्वविद्यालय, असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुराचरण के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने या उसे किसी भी स्तर पर उसका शिक्षण कार्य रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की अवधि**

   1. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो कि छह सेमिस्टरों में विभाजित होगी।

   2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा, जिसमें सेमिस्टर ब्रेकों के संबंध में विवरण भी होगा।

3. किसी भी विद्यार्थी के लिए बी.ए. पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि शामिल होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

7. परीक्षाएं

1. विश्वविद्यालय, सतत मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करेगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए विभिन्न टेस्टों/क्विज़ों इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में पाठ्यक्रम के अध्ययन में विद्यार्थी के प्रदर्शन के आंकलन के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा व पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों में विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए टेस्टों आदि की विस्तृत योजना वही होगी, जो शैक्षणिक परिषद द्वारा इस हेतु निर्धारित की जाए।

3. किसी विद्यार्थी को संकाय अध्यक्ष/शैक्षणिक समन्वयक द्वारा निम्न में से किसी भी आधार पर सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा:-

   (अ) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

   (ब) संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक की अनुशंसा पर,यदि

   (1) विद्यार्थी की सेमिस्टर की अवधि में व्याख्यानों/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम हो।

   (2) सेमिस्टर के दौरान लिए गए टेस्टों में विद्यार्थी का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा हो।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के वे विद्यार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे जो पिछली सेमिस्टर परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हों या उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

5. कुलपति के अनुमोदन से, अनुदेशक द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेकअप परीक्षा आयोजित की जा सकेगी जो टेस्टों में सम्मिलित न हो सके हों या उनमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

6. अगर कोई विद्यार्थी किसी सेमिस्टर परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अपनी श्रेणी/अंकों/ग्रेडों में सुधार के लिए या अन्य किसी उद्देश्य से परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. प्रगति का मूल्यांकन (आंकलन)

(1) अंक निर्धारण की प्रक्रिया

   (अ) अभ्यर्थी की प्रत्येक सेमिस्टर में पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए प्रगति का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और विभिन्न

टेस्टों के द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण, शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुरूप किया जाएगा।

(ब) विषय के विभिन्न घटकों के मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को जोड़कर उसके ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

(स) जिस विद्यार्थी को किसी विषय में दो टेस्टों में 20 से कम अंक मिले हैं, उसे उस विषय की सेमिस्टर के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) क्रेडिट देने की प्रक्रिया

(अ) किसी विषय में क्रेडिट की गणना के लिए एक घंटे की अवधि के व्याख्यान (एल) को एक क्रेडिट व ट्यूटोरियल (टी) व/अथवा प्रैक्टिकल (पी) में दो घंटे की अवधि की उपस्थिति को एक क्रेडिट के समकक्ष माना जाएगा।

(1) अतः क्रेडिट={एल+(टी+पी)/2} किसी विषय में क्रेडिट भिन्नात्मक संख्या न होकर पूर्ण संख्या होगी।

(2) कोई उम्मीदवार किसी सेमिस्टर में उसे आबंटित क्रेडिट तभी उपार्जित कर सकेगा जब वह उक्त विषय में सेमिस्टर में मान्य ग्रेड प्राप्त कर ले।

(3) अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय में मान्य ग्रेड नहीं मिलता तो उसे उस विषय में बैकलॉग घोषित कर दिया जाएगा।

(4) कोई उम्मीदवार बी.ए. की उपाधि प्राप्त करने के लिए अर्ह तभी होगा जब वह उस पाठ्यक्रम में, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, सभी क्रेडित उपार्जित कर ले।

9. उपस्थिति

किसी सेमिस्टर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के तौर पर सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की कक्षाओं में कम से 75 प्रतिशत की उपस्थिति हो। परंतु वास्तविक कठिनाई कि स्थिति में कुलपति को उपस्थिति में 15 प्रतिशत छूट देने का अधिकार होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

1. शैक्षणिक मंडल द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के वेटेज के आधार पर क्रेडिट की अनुशंसा की जाएगी और इसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद व शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। किसी भी सेमिस्टर में केवल अनुमोदित पाठ्यक्रमों का ही अध्ययन किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थी को लेटर ग्रेड दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी को दिया जाने वाला लेटर ग्रेड, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन के अन्य घटकों में उसके समग्र प्रदर्शन पर आधारित होगा।

3. प्रयुक्त किए जाने वाले लेटर ग्रेड व उनके संख्यात्मक तुल्य, जिसे ग्रेड पाईंट कहा जाता है, इस हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमनों पर आधारित व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं के अनुरूप होंगे।

4. विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए लेटर ग्रेड दिया जाएगा।

5. किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप, किसी विशिष्ट विषय में दिए गए क्रेडिट तभी प्राप्त होंगे जब वह मान्य ग्रेड (न्यूनतम पी अर्थात, विषय में उत्तीर्ण) प्राप्त कर ले।

6. अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय (पाठ्यक्रम) में 'एफ' ग्रेड प्राप्त होता है तो उसे उस विषय (पाठ्यक्रम) मे अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा या उक्त विषय (पाठ्यक्रम) का अध्ययन पुनः करना होगा।

7. किसी सेमिस्टर का सेमिस्टर ग्रेड पाईंट एवरेज (एसजीपीए), संबंधित सेमिस्टर में विद्यार्थी को प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड अंकों का भारित औसत होगा। प्रत्येक सेमिस्टर के एसजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

8. किसी विद्यार्थी का क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पाईंट एवरेज (सीजीपीए), संबंधित विद्यार्थी द्वारा उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश लिए जाने के बाद से उसके द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में अर्जित पाठ्यक्रम ग्रेड पाईंटस का भारित औसत होगा। सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

9. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, दशमलव के बाद के दो स्थानों तक (बिना पूर्णांकित किए) की जाएगी।

10. उपाधि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 4.00 सीजीपीए प्राप्त करना होगा।

11. अंतिम सेमिस्टर परीक्षा के अंत में दी जाने वाली अंतिम परीक्षा ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शाया जाएगा। शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप, सीजीपीए को तुल्य प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

11. अंकतालिका

पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, विद्यार्थी को जारी की जाने वाली अंकतालिका में विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक सेमिस्टर में लिए गए समस्त विषयों में प्रदर्शन का समेकित रिकार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विषय के ग्रेड, प्रत्येक सेमिस्टर का एसजीपीए व सीजीपीए तथा अंतिम एसजीपीए व सीजीपीए सम्मिलित है। अंक तालिका में विद्यार्थी को प्राप्त श्रेणी का उल्लेख भी होगा।

12. उपरोक्त के होते हुए भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बीए उपाधि उपार्जित करने का शैक्षणिक कार्यक्रम, यूजीसी व संबद्ध सांविधिक संस्थाओं के संबंधित विनियमनों/मानदंडों में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

13. कार्यक्रम की रूपरेखाः

बीए पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, लोक प्रशासन व समाजशास्त्र मुख्य विषय होंगे। विद्यार्थी इन चार विषयों अर्थात अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन व समाजशास्त्र में से किन्हीं भी तीन का समूह चयनित कर सकेंगे। बीए (पास) की उपाधि अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को कुल 24 विषयों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

1. **अनिवार्य आधार पाठ्यक्रमः** विद्यार्थी के लिए क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमिस्टर में चार विषयों (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा –1, अंग्रेजी भाषा –2 व पर्यावरण विज्ञान) का अध्ययन अनिवार्य होगा।

2. **ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रमः** कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1, कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2, व्यक्तित्व विकास व साफ्ट स्किल्स–उपरोक्त चार विषयों में से विद्यार्थी को कोई भी दो विषय क्रमशः पंचम व षष्ठम सेमिस्टर में लेने होंगे।

3. **मूल विषयः** अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन व समाजशास्त्र समूहों में से प्रत्येक में चार विषय हैं। इनमें से तीन विषयों को अनिवार्य मुख्य विषय के रूप में चुना जाना होगा। प्रत्येक मूल विषय का एक प्रश्नपत्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ सेमिस्टर में होगा।

4. **ऐच्छिक विषयः** विद्यार्थी को यूजीसी के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐच्छिक विषयों के पूल में से पंचम व षष्ठम सेमिस्टरों में तीन ऐच्छिक विषय चुनने होंगे।

5. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, कला व मानविकी संकाय के अन्य विषयों का अध्ययन प्रारंभ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की रूपरेखाः** पाठ्यक्रम का निर्धारण संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा किया जाकर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7. बीए उपाधि कार्यक्रम की विषयवार (अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन व समाजशात्र) रूपरेखा निम्नानुसार होगीः

(बी.ए. उपाधि कार्यक्रम–अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र)
कार्यक्रम की रूपरेखा

वर्ष	प्रथम सेमिस्टर	द्वितीय सेमिस्टर
1.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–1 – हिन्दी भाषा 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–1 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–1 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–1	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–2 – अंग्रेजी भाषा –1 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–2 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–2 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–2
	तृतीय सेमिस्टर	**चतुर्थ सेमिस्टर**
2.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–3 – अंग्रेजी भाषा –2 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–3 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–3 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–3	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–4 – पर्यावरण विज्ञान 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–4 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–4 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–4
	पंचम सेमिस्टर	**षष्ठम सेमिस्टर**
3.	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–1 2. ऐच्छिक विषय–1 3. ऐच्छिक विषय–2 4. ऐच्छिक विषय–3	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–2 2. ऐच्छिक विषय–4 3. ऐच्छिक विषय–5 4. ऐच्छिक विषय–6

पाठ्यक्रम

आधार पाठ्यक्रम

अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम	ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रम
हिन्दी भाषा –1 अंग्रेजी भाषा –1 अंग्रेजी भाषा –2 पर्यावरण विज्ञान	कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1 कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2 व्यक्तित्व विकास साफ्ट स्किल्स

मूल पाठ्यक्रम

लोकप्रशासन	अर्थशास्त्र
1. प्रश्नपत्र–1–लोकप्रशासनः एक परिचय 2. प्रश्नपत्र–2–सार्वजनिक नीति 3. प्रश्नपत्र–3–प्रजातंत्र 4. प्रश्नपत्र–4–प्रशासनिक विधि	1. प्रश्नपत्र–1–व्यष्टि अर्थशास्त्र 2. प्रश्नपत्र–2–समष्टी अर्थशास्त्र 3. प्रश्नपत्र–3–भारतीय अर्थव्यवस्था 4. प्रश्नपत्र–4 विकास व नियोजन
समाजशास्त्र	**अंग्रेजी**
1. प्रश्नपत्र–1–समाजशास्त्र के मूल तत्व 2. प्रश्नपत्र–2–विकास का समाजशास्त्र 3. प्रश्नपत्र–3–सामाजिक संस्थान 4. प्रश्नपत्र–4 भारतीय सामाजिक ढांचा व प्रक्रिया	1. प्रश्नपत्र–1–अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 2. प्रश्नपत्र–2–अंग्रेजी स्वर विज्ञान व व्याकरण 3. प्रश्नपत्र–3–संचार के मूल तत्व 4. प्रश्नपत्र–4–गद्यः एक परिचय

ऐच्छिक पाठ्यक्रम

लोकप्रशासन	अर्थशास्त्र
1. भारत में दलगत राजनीति	1. आर्थिक विचारों का इतिहास
2. भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था	2. व्यवसाय अर्थशास्त्र में कम्प्यूटर तकनीकी
3. छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रक्रिया	3. कृषि अर्थशास्त्र
4. 20वीं सदी के राजनैतिक विचार	4. लोक अर्थशास्त्र
5. डॉ अंबेडकर के राजनैतिक विचार	5. राजनैतिक अर्थव्यवस्था
6. भारत में सामाजिक आंदोलन	6. स्वास्थ्य व शिक्षा का अर्थशास्त्र
7. विकासशील विश्व में राजनीति, असमानता व बहिष्करण	7. अर्थशास्त्र, राज्य व समाज
8. एशिया–प्रशांत क्षेत्र संघर्ष व सहयोग	8. व्यावहारिक अर्थशास्त्र
9. कार्मिक प्रशासन व मानव संसाधन प्रशासन	9. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
10. राजनीति विज्ञान, ग्रामीण विकास प्रशासन में शोध विधियां	10. राज्य वित्त
11. तुलनात्मक राजनीति	11. सांख्यिकीय पद्वतियां
12. नगरीय विकास प्रशासन	12. परिवहन अर्थशास्त्र
13. जनजातीय विकास प्रशासन	13. व्यवहार अर्थशास्त्र

14. आधुनिक भारत में राजनैतिक विचार	
15. राजनैतिक समाजशास्त्र	
16. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत	
17. राजनैतिक विचार की परंपराएं	
18. आधुनिक राजनैतिक विचारधाराएं	
समाजशास्त्र	**अंग्रेजी**
1. भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतक	1. क्लासिकल साहित्य
2. पश्चिमी समाजशास्त्रीय विचारों का भारतीय समाज पर प्रभाव	2. आधुनिक साहित्य
3. सामाजिक विज्ञानः एक परिपेक्ष्य	3. पूर्वी साहित्य
4. सामाजिक बहिष्करण व सामाजिक समावेशीकरण	4. पश्चिमी साहित्य
5. जनसंख्या अध्ययन	5. फिल्म अध्ययनः एक परिचय
6. अपराध व समाज,	6. साहित्यिक समालोचना
7. राजनैतिक समाजशास्त्र	7. आधुनिक यूरोपीय नाटक
8. औद्योगिक समाजशास्त्र	8. तुलनात्मक साहित्य
9. भारत में सामाजिक समस्याएं	9. बीसवीं सदी में भारतीय लेखन
10.संस्कृति व जनसंचार माध्यमों का समाजशास्त्र	10. अंग्रेजी में भारतीय लेखन
11.धर्म का समाजशास्त्र	11. एंग्लो–अमरीकी लेखन
12.सामाजिक स्तरीकरण व सामाजिक गतिशीलता	12. प्राच्य आधुनिकतावाद
13.जनजातीय समाज का अर्थशास्त्र	13. कविता व संबद्ध साहित्यिक विषयों का परिचय
14.सामाजिक संस्कृति व आंदोलन	
15.समाज परिवर्तन व सामाजिक नियंत्रण	
16.समाजशास्त्रीय सिद्धांत	
17.आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत	

8. परीक्षा योजना, मूल्यांकन प्रक्रिया व लेटर ग्रेडः परीक्षा योजना, मूल्यांकन व लेटर ग्रेड को देने की प्रक्रिया का विवरण अध्यादेश क्रमांक 28 में दिया गया है।

9. **सामान्यः** शैक्षणिक कार्यक्रम की रूपरेखा/विषयों आदि से संबंधित सभी विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

अध्यादेश क्रमांक 30

बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम की संरचना

1. **उपाधि का नामः** उपाधि का नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स – बीए (ऑनर्स) होगा

2. **संकायः** बी.ए. (ऑनर्स) का स्नातक पाठ्यक्रम, कला व मानविकी संकाय द्वारा संचालित किया जायेगा

3. **शैक्षणिक वर्षः** प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमिस्टर होगें। प्रथम सेमिस्टर – जुलाई से दिसंबर व द्वितीय सेमिस्टर – जनवरी से जून तक होगा।

4. **प्रयोज्यता**

   1. कला में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम (संक्षेप में 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम), तीन वर्ष की अवधि का होगा, जिसे एतत्पश्चात 3 वर्षीय उपाधि कार्यक्रम कहा गया है और इसे बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स) कहा जाएगा।

   2. बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षाएं, विद्यार्थी के ग्रेड व क्रेडिट पर आधारित होंगे।

5. **प्रवेश की पात्रता**

   1. बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा वह होगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए।

   2. बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में या शैक्षणिक परिषद द्वारा यथानिर्धारित, दिया जाएगा। प्रवेश नीति का निर्धारण विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

   3. विश्वविद्यालय, बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में किसी विद्यार्थी को अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय से स्थानांतरित किए जाने पर इस शर्त के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा कि वह ऑनर्स कोर्स में अध्यनरत हो । ऐसा प्रवेश किसी भी स्तर पर दिया जा सकेगा, बशर्ते विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों की पूर्ति करता हो। परंतु, किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   4. विश्वविद्यालय, अंसतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुराचरण के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने या उसे किसी भी स्तर पर उसका शिक्षण कार्य रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. पाठ्यक्रम की अवधि

1. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो कि छह सेमिस्टरों में विभाजित होगी।

2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा, जिसमें सेमिस्टर ब्रेकों के संबंध में विवरण भी होगा।

3. किसी भी विद्यार्थी के लिए बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि शामिल होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

7. परीक्षाएं

1. विश्वविद्यालय, सतत मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करेगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए विभिन्न टेस्टों/क्विज़ों इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में पाठ्यक्रम के अध्ययन में विद्यार्थी के प्रदर्शन के आंकलन के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा व पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों में विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए टेस्टों आदि की विस्तृत योजना वही होगी, जो शैक्षणिक परिषद द्वारा इस हेतु निर्धारित की जाए।

3. किसी विद्यार्थी को संकाय अध्यक्ष/शैक्षणिक समन्वयक द्वारा निम्न में से किसी भी आधार पर सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा:—

   (अ) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

   (ब) संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक की अनुशंसा पर,यदि

   (1) विद्यार्थी की सेमिस्टर की अवधि में व्याख्यानों/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम हो।

   (2) सेमिस्टर के दौरान लिए गए टेस्टों में विद्यार्थी का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा हो।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के वे विद्यार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे जो पिछली सेमिस्टर परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हों या उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

5. कुलपति के अनुमोदन से, अनुदेशक द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेकअप परीक्षा आयोजित की जा सकेगी जो टेस्टों में सम्मिलित न हो सके हों या उनमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

6. अगर कोई विद्यार्थी किसी सेमिस्टर परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अपनी श्रेणी/अंकों/ग्रेडों में सुधार के लिए या अन्य किसी उद्देश्य से परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. प्रगति का मूल्यांकन (आंकलन)

(1) अंक निर्धारण की प्रक्रिया

(अ) अभ्यर्थी की प्रत्येक सेमिस्टर में पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए प्रगति का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और विभिन्न टेस्टों के द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण, शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुरूप किया जाएगा।

(ब) विषय के विभिन्न घटकों के मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को जोड़कर उसके ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

(स) जिस विद्यार्थी को किसी विषय में दो टेस्टों में 20 से कम अंक मिले हैं, उसे उस विषय की सेमिस्टर के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) क्रेडिट देने की प्रक्रिया

(अ) किसी विषय में क्रेडिट की गणना के लिए एक घंटे की अवधि के व्याख्यान (एल) को एक क्रेडिट व ट्यूटोरियल (टी) व/अथवा प्रैक्टिकल (पी) में दो घंटे की अवधि की उपस्थिति को एक क्रेडिट के समकक्ष माना जाएगा।

(1) अतः क्रेडिट={एल+(टी+पी)/2} किसी विषय में क्रेडिट भिन्नात्मक संख्या न होकर पूर्ण संख्या होगी।

(2) कोई उम्मीदवार किसी सेमिस्टर में उसे आबंटित क्रेडिट तभी उपार्जित कर सकेगा जब वह उक्त विषय में सेमिस्टर में मान्य ग्रेड प्राप्त कर ले।

(3) अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय में मान्य ग्रेड नहीं मिलता तो उसे उस विषय में बैकलॉग घोषित कर दिया जाएगा।

(4) कोई उम्मीदवार बी.ए. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के लिए अर्ह तभी होगा जब वह उस पाठ्यक्रम में, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, सभी क्रेडित उपार्जित कर ले।

9. उपस्थिति

किसी सेमिस्टर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के तौर पर सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की कक्षाओं में कम से 75 प्रतिशत की उपस्थिति हो। परंतु वास्तविक कठिनाई कि स्थिति में कुलपति को उपस्थिति में 15 प्रतिशत छूट देने का अधिकार होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

1. शैक्षणिक मंडल द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के वेटेज के आधार पर क्रेडिट की अनुशंसा की जाएगी और इसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद व शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। किसी भी सेमिस्टर में केवल अनुमोदित पाठ्यक्रमों का ही अध्ययन किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थी को लेटर ग्रेड दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी को दिया जाने वाला लेटर ग्रेड, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन के अन्य घटकों में उसके समग्र प्रदर्शन पर आधारित होगा।

3. प्रयुक्त किए जाने वाले लेटर ग्रेड व उनके संख्यात्मक तुल्य, जिसे ग्रेड पाईंट कहा जाता है, इस हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमनों पर आधारित व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं के अनुरूप होंगे।

4. विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए लेटर ग्रेड दिया जाएगा।

5. किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप, किसी विशिष्ट विषय में दिए गए क्रेडिट तभी प्राप्त होंगे जब वह मान्य ग्रेड (न्यूनतम पी अर्थात, विषय में उत्तीर्ण) प्राप्त कर ले।

6. अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय (पाठ्यक्रम) में 'एफ' ग्रेड प्राप्त होता है तो उसे उस विषय (पाठ्यक्रम) मे अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा या उक्त विषय (पाठ्यक्रम) का अध्ययन पुनः करना होगा।

7. किसी सेमिस्टर का सेमिस्टर ग्रेड पाईंट एवरेज (एसजीपीए), संबंधित सेमिस्टर में विद्यार्थी को प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड अंकों का भारित औसत होगा। प्रत्येक सेमिस्टर के एसजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

8. किसी विद्यार्थी का क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पाईंट एवरेज (सीजीपीए), संबंधित विद्यार्थी द्वारा उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश लिए जाने के बाद से उसके द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में अर्जित पाठ्यक्रम ग्रेड पाईंटस का भारित औसत होगा। सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

9. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, दशमलव के बाद के दो स्थानों तक (बिना पूर्णांकित किए) की जाएगी।

10. उपाधि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 4.00 सीजीपीए प्राप्त करना होगा।

11. अंतिम सेमिस्टर परीक्षा के अंत में दी जाने वाली अंतिम परीक्षा ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शाया जाएगा। शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप, सीजीपीए को तुल्य प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

11. अंकतालिका

पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, विद्यार्थी को जारी की जाने वाली अंकतालिका में विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक सेमिस्टर में लिए गए समस्त विषयों में प्रदर्शन का समेकित रिकार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विषय के ग्रेड, प्रत्येक सेमिस्टर का एसजीपीए व सीजीपीए तथा अंतिम एसजीपीए व सीजीपीए सम्मिलित है। अंक तालिका में विद्यार्थी को प्राप्त श्रेणी का उल्लेख भी होगा।

12. उपरोक्त के होते हुए भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बीए (ऑनर्स) उपाधि उपार्जित करने का शैक्षणिक कार्यक्रम, यूजीसी व संबद्ध सांविधिक संस्थाओं के संबंधित विनियमनों/मानदंडों में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

13. **कार्यक्रम की रूपरेखाः**

बीए (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, लोक प्रशासन व समाजशास्त्र मुख्य विषय होंगे। विद्यार्थी इन चार विषयों अर्थात अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन व समाजशास्त्र में से किन्हीं भी तीन का समूह चयनित कर सकेंगे। बी.ए. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को पूर्व में चयनित 3 विषयों में से किसी एक विषय का चयन ऑनर्स के लिए करना होगा। चयनित आनर्स के विषय में से 4 अतिरिक्त विषय लेने होंगे जो उन्हें एक एक करके क्रमशः तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ सेमिस्टर में पढ़ने होंगे। इस तरह कुल 28 विषयों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

बीए (ऑनर्स) की उपाधि अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को इस तरह कुल 28 विषयों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

1. **अनिवार्य आधार पाठ्यक्रमः** विद्यार्थी के लिए क्रमशः प्रथम, द्वितीय तृतीय व चतुर्थ सेमिस्टर में चार विषयों (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा –1, अंग्रेजी भाषा –2 व पर्यावरण विज्ञान) का अध्ययन अनिवार्य होगा।

2. **ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रमः** कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1, कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2, व्यक्तित्व विकास व साफ्ट स्किल्स–उपरोक्त चार विषयों में से विद्यार्थी को कोई भी दो विषय क्रमशः पंचम व षष्ठम सेमिस्टर में लेने होंगे।

3. **मूल विषयः** अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन व समाजशास्त्र समूहों में से प्रत्येक में चार विषय हैं। इनमें से तीन विषयों को अनिवार्य मुख्य विषय के रूप में चुना जाना होगा। प्रत्येक मूल विषय का एक प्रश्नपत्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमिस्टर में होगा।

4. **ऐच्छिक विषयः** विद्यार्थी को यूजीसी के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐच्छिक विषयों के पूल में से पंचम व षष्ठम सेमिस्टरों में तीन- तीन ऐच्छिक विषय चुनने होंगे।

5. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, कला व मानविकी संकाय के अन्य विषयों का अध्ययन प्रारंभ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की रूपरेखाः** पाठ्यक्रम का निर्धारण संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा किया जाकर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7. बीए (ऑनर्स) उपाधि कार्यक्रम की विषयवार (अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन व समाजशात्र) रूपरेखा निम्नानुसार होगीः

(बीए (ऑनर्स) उपाधि कार्यक्रम–अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र) कार्यक्रम की रूपरेखा

वर्ष	प्रथम सेमिस्टर	द्वितीय सेमिस्टर
1.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–1 – हिन्दी भाषा 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–1 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–1 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–1	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–2 – अंग्रेजी भाषा –1 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–2 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–2 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–2
	तृतीय सेमिस्टर	**चतुर्थ सेमिस्टर**
2.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–3 – अंग्रेजी भाषा –2 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–3 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–3 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–3	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–4 – पर्यावरण विज्ञान 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–4 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–4 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–4
	पंचम सेमिस्टर	**षष्ठम सेमिस्टर**
3.	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–1 2. ऐच्छिक विषय–1 3. ऐच्छिक विषय–2 4. ऐच्छिक विषय–3	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–2 2. ऐच्छिक विषय–4 3. ऐच्छिक विषय–5 4. ऐच्छिक विषय–6

पाठयक्रम

आधार पाठ्यक्रम

अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम	ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रम
हिन्दी भाषा –1 अंग्रेजी भाषा –1 अंग्रेजी भाषा –2 पर्यावरण विज्ञान	कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1 कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2 व्यक्तित्व विकास साफ्ट स्किल्स

मूल पाठ्यक्रम पाठयक्रम

लोकप्रशासन	अर्थशास्त्र
1. प्रश्नपत्र–1–लोकप्रशासनः एक परिचय 2. प्रश्नपत्र–2–सार्वजनिक नीति 3. प्रश्नपत्र–3–प्रजातंत्र 4. प्रश्नपत्र–4–प्रशासनिक विधि	1. प्रश्नपत्र–1–व्यष्टि अर्थशास्त्र 2. प्रश्नपत्र–2–समष्टी अर्थशास्त्र 3. प्रश्नपत्र–3–भारतीय अर्थव्यवस्था 4. प्रश्नपत्र–4 विकास व नियोजन
समाजशास्त्र	**अंग्रेजी**
1. प्रश्नपत्र–1–समाजशास्त्र के मूल तत्व 2. प्रश्नपत्र–2–विकास का समाजशास्त्र 3. प्रश्नपत्र–3–सामाजिक संस्थान 4. प्रश्नपत्र–4 भारतीय सामाजिक ढांचा व प्रक्रिया	1. प्रश्नपत्र–1–अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 2. प्रश्नपत्र–2–अंग्रेजी स्वर विज्ञान व व्याकरण 3. प्रश्नपत्र–3–संचार के मूल तत्व 4. प्रश्नपत्र–4–गद्यः एक परिचय

ऐच्छिक पाठ्यक्रम

लोकप्रशासन	अर्थशास्त्र
1. भारत में दलगत राजनीति	1. आर्थिक विचारों का इतिहास
2. भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था	2. व्यवसाय अर्थशास्त्र में कम्प्यूटर तकनीकी
3. छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रक्रिया	3. कृषि अर्थशास्त्र
4. 20वीं सदी के राजनैतिक विचार	4. लोक अर्थशास्त्र
5. डॉ अंबेडकर के राजनैतिक विचार	5. राजनैतिक अर्थव्यवस्था
6. भारत में सामाजिक आंदोलन	6. स्वास्थ्य व शिक्षा का अर्थशास्त्र
7. विकासशील विश्व में राजनीति, असमानता व बहिष्करण	7. अर्थशास्त्र, राज्य व समाज
8. एशिया–प्रशांत क्षेत्र संघर्ष व सहयोग	8. व्यावहारिक अर्थशास्त्र
9. कार्मिक प्रशासन व मानव संसाधन प्रशासन	9. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
10. राजनीति विज्ञान, ग्रामीण विकास प्रशासन में शोध विधियां	10. राज्य वित्त
11. तुलनात्मक राजनीति	11. सांख्यिकीय पद्वतियां
12. नगरीय विकास प्रशासन	12. परिवहन अर्थशास्त्र
13. जनजातीय विकास प्रशासन	13. व्यवहार अर्थशास्त्र

14. आधुनिक भारत में राजनैतिक विचार 15. राजनैतिक समाजशास्त्र 16. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत 17. राजनैतिक विचार की परंपराएं 18. आधुनिक राजनैतिक विचारधाराएं	
समाजशास्त्र	**अंग्रेजी**
1. भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतक 2. पश्चिमी समाजशास्त्रीय विचारों का भारतीय समाज पर प्रभाव 3. सामाजिक विज्ञानः एक परिपेक्ष्य 4. सामाजिक बहिष्करण व सामाजिक समावेशीकरण 5. जनसंख्या अध्ययन 6. अपराध व समाज, 7. राजनैतिक समाजशास्त्र 8. औद्योगिक समाजशास्त्र 9. भारत में सामाजिक समस्याएं 10.संस्कृति व जनसंचार माध्यमों का समाजशास्त्र 11.धर्म का समाजशास्त्र 12.सामाजिक स्तरीकरण व सामाजिक गतिशीलता 13.जनजातीय समाज का अर्थशास्त्र 14.सामाजिक संस्कृति व आंदोलन 15.समाज परिवर्तन व सामाजिक नियंत्रण 16.समाजशास्त्रीय सिद्धांत 17.आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत	1. क्लासिकल साहित्य 2. आधुनिक साहित्य 3. पूर्वी साहित्य 4. पश्चिमी साहित्य 5. फिल्म अध्ययनः एक परिचय 6. साहित्यिक समालोचना 7. आधुनिक यूरोपीय नाटक 8. तुलनात्मक साहित्य 9. बीसवीं सदी में भारतीय लेखन 10. अंग्रेजी में भारतीय लेखन 11. एंग्लो–अमरीकी लेखन 12. प्राच्य आधुनिकतावाद 13. कविता व संबद्ध साहित्यिक विषयों का परिचय

ऑनर्स पाठ्यक्रम

लोक प्रशासन	अर्थशास्त्र
1. केंद्रीय प्रशासन 2. ग्रामीण शहरी प्रशासन 3. विकास प्रशासन 4. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन 5. नागरिक और प्रशासन 6. सार्वजनिक प्रशासन में समस्याएं 7. राज्य और जिला प्रशासन 8. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की राजनीति	1. अर्थशास्त्र के गणितीय तरीक 2. मूल अर्थमिति 3. औद्योगिक अर्थशास्त्र 4. वित्तीय अर्थशास्त्र कृषि अर्थशास्त्र 5. पर्यावरणीय अर्थशास्त्र 6. स्वास्थ्य और शिक्षा के अर्थशास्त्र 7. ग्रामीण अर्थशास्त्र
समाजशास्त्र	**अंग्रेजी**
1. काम और आर्थिक जीवन 2. भारत का ग्रामीण समाज 3. भारत का शहरी समाज 4. सरकार और राजनीतिक शक्ति और युद्ध 5. सामाजिक मनोविज्ञान, महिला और समाज 6. लिंग और समाज 7. आधुनिक सामाजिक सिद्धांत	1. साहित्य और लिंग 2. जीवन लेखन: जीवनचर्या और यादें 3. 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिला लेखन और कनाडा से अंग्रेजी लेखन 4. ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड विजेता और 20 वीं सदी की कविता 5. रोमनवाद की बहाली 6. गैर-कथा गद्य 7. आधुनिक अंग्रेजी की संरचना

8. परीक्षा योजना, मूल्यांकन प्रक्रिया व लेटर ग्रेडः परीक्षा योजना, मूल्यांकन व लेटर ग्रेड को देने की प्रक्रिया का विवरण अध्यादेश क्रमांक 28 में दिया गया है।

9. **सामान्यः** शैक्षणिक कार्यक्रम की रूपरेखा/विषयों आदि से संबंधित सभी विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

अध्यादेश क्रमांक 31

बी.कॉम. पाठ्यक्रम की संरचना

1. **उपाधि का नामः** उपाधि का नाम बैचलर ऑफ कॉमर्स- बी.कॉम होगा ।

2. **संकायः** बी.कॉम. का स्नातक पाठ्यक्रम, वाणिज्य संकाय द्वारा संचालित किया जायेगा

3. **शैक्षणिक वर्षः** प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमिस्टर होगें। प्रथम सेमिस्टर – जुलाई से दिसंबर व द्वितीय सेमिस्टर – जनवरी से जून तक होगा।

4. **प्रयोज्यता**

    1. कॉमर्स में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम (संक्षेप में 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम), तीन वर्ष की अवधि का होगा, जिसे एतत्पश्चात 3 वर्षीय उपाधि कार्यक्रम कहा गया है और इसे बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाएगा।

    2. बी.कॉम. पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षाएं, विद्यार्थी के ग्रेड व क्रेडिट पर आधारित होंगे।

5. **प्रवेश की पात्रता**

    1. बी.कॉम. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा वह होगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए।

    2. बी.कॉम. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में या शैक्षणिक परिषद द्वारा यथानिर्धारित, दिया जाएगा। प्रवेश नीति का निर्धारण विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

    3. विश्वविद्यालय, बी.कॉम. पाठ्यक्रम में किसी विद्यार्थी को अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय से स्थानांतरित किए जाने पर प्रवेश दे सकेगा। ऐसा प्रवेश किसी भी स्तर पर दिया जा सकेगा, बशर्ते विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों की पूर्ति करता हो। परंतु, किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    4. विश्वविद्यालय, अंसतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुराचरण के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने या उसे किसी भी स्तर पर उसका शिक्षण कार्य रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की अवधि**

    1. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो कि छह सेमिस्टरों में विभाजित होगी।

    2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा, जिसमें सेमिस्टर ब्रेकों के संबंध में विवरण भी होगा।

3. किसी भी विद्यार्थी के लिए बी.कॉम. पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि शामिल होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

7. परीक्षाएं

1. विश्वविद्यालय, सतत मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करेगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए विभिन्न टेस्टों/क्विज़ों इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में पाठ्यक्रम के अध्ययन में विद्यार्थी के प्रदर्शन के आंकलन के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा व पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों में विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए टेस्टों आदि की विस्तृत योजना वही होगी, जो शैक्षणिक परिषद द्वारा इस हेतु निर्धारित की जाए।

3. किसी विद्यार्थी को संकाय अध्यक्ष/शैक्षणिक समन्वयक द्वारा निम्न में से किसी भी आधार पर सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा:—

   (अ) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

   (ब) संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक की अनुशंसा पर,यदि

      (1) विद्यार्थी की सेमिस्टर की अवधि में व्याख्यानों/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम हो।

      (2) सेमिस्टर के दौरान लिए गए टेस्टों में विद्यार्थी का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा हो।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के वे विद्यार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे जो पिछली सेमिस्टर परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हों या उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

5. कुलपति के अनुमोदन से, अनुदेशक द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेकअप परीक्षा आयोजित की जा सकेगी जो टेस्टों में सम्मिलित न हो सके हों या उनमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

6. अगर कोई विद्यार्थी किसी सेमिस्टर परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अपनी श्रेणी/अंकों/ग्रेडों में सुधार के लिए या अन्य किसी उद्देश्य से परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. प्रगति का मूल्यांकन (आंकलन)

(1) अंक निर्धारण की प्रक्रिया

   (अ) अभ्यर्थी की प्रत्येक सेमिस्टर में पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए प्रगति का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और विभिन्न

टेस्टों के द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण, शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुरूप किया जाएगा।

(ब) विषय के विभिन्न घटकों के मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को जोड़कर उसके ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

(स) जिस विद्यार्थी को किसी विषय में दो टेस्टों में 20 से कम अंक मिले हैं, उसे उस विषय की सेमिस्टर के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) क्रेडिट देने की प्रक्रिया

(अ) किसी विषय में क्रेडिट की गणना के लिए एक घंटे की अवधि के व्याख्यान (एल) को एक क्रेडिट व ट्यूटोरियल (टी) व/अथवा प्रैक्टिकल (पी) में दो घंटे की अवधि की उपस्थिति को एक क्रेडिट के समकक्ष माना जाएगा।

(1) अतः क्रेडिट={एल+(टी+पी)/2} किसी विषय में क्रेडिट भिन्नात्मक संख्या न होकर पूर्ण संख्या होगी।

(2) कोई उम्मीदवार किसी सेमिस्टर में उसे आबंटित क्रेडिट तभी उपार्जित कर सकेगा जब वह उक्त विषय में सेमिस्टर में मान्य ग्रेड प्राप्त कर ले।

(3) अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय में मान्य ग्रेड नहीं मिलता तो उसे उस विषय में बैकलॉग घोषित कर दिया जाएगा।

(4) कोई उम्मीदवार बी.कॉम. की उपाधि प्राप्त करने के लिए अर्ह तभी होगा जब वह उस पाठ्यक्रम में, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, सभी क्रेडित उपार्जित कर ले।

9. उपस्थिति

किसी सेमिस्टर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के तौर पर सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की कक्षाओं में कम से 75 प्रतिशत की उपस्थिति हो। परंतु वास्तविक कठिनाई कि स्थिति में कुलपति को उपस्थिति में 15 प्रतिशत छूट देने का अधिकार होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

1. शैक्षणिक मंडल द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के वेटेज के आधार पर क्रेडिट की अनुशंसा की जाएगी और इसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद व शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। किसी भी सेमिस्टर में केवल अनुमोदित पाठ्यक्रमों का ही अध्ययन किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थी को लेटर ग्रेड दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी को दिया जाने वाला लेटर ग्रेड, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन के अन्य घटकों में उसके समग्र प्रदर्शन पर आधारित होगा।

3. प्रयुक्त किए जाने वाले लेटर ग्रेड व उनके संख्यात्मक तुल्य, जिसे ग्रेड पाईंट कहा जाता है, इस हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमनों पर आधारित व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं के अनुरूप होंगे।

4. विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए लेटर ग्रेड दिया जाएगा।

5. किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप, किसी विशिष्ट विषय में दिए गए क्रेडिट तभी प्राप्त होंगे जब वह मान्य ग्रेड (न्यूनतम पी अर्थात, विषय में उत्तीर्ण) प्राप्त कर ले।

6. अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय (पाठ्यक्रम) में 'एफ' ग्रेड प्राप्त होता है तो उसे उस विषय (पाठ्यक्रम) मे अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा या उक्त विषय (पाठ्यक्रम) का अध्ययन पुनः करना होगा।

7. किसी सेमिस्टर का सेमिस्टर ग्रेड पाईंट एवरेज (एसजीपीए), संबंधित सेमिस्टर में विद्यार्थी को प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड अंकों का भारित औसत होगा। प्रत्येक सेमिस्टर के एसजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

8. किसी विद्यार्थी का क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पाईंट एवरेज (सीजीपीए), संबंधित विद्यार्थी द्वारा उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश लिए जाने के बाद से उसके द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में अर्जित पाठ्यक्रम ग्रेड पाईंटस का भारित औसत होगा। सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

9. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, दशमलव के बाद के दो स्थानों तक (बिना पूर्णांकित किए) की जाएगी।

10. उपाधि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 4.00 सीजीपीए प्राप्त करना होगा।

11. अंतिम सेमिस्टर परीक्षा के अंत में दी जाने वाली अंतिम परीक्षा ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शाया जाएगा। शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप, सीजीपीए को तुल्य प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

11. अंकतालिका

पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, विद्यार्थी को जारी की जाने वाली अंकतालिका में विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक सेमिस्टर में लिए गए समस्त विषयों में प्रदर्शन का समेकित रिकार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विषय के ग्रेड, प्रत्येक सेमिस्टर का एसजीपीए व सीजीपीए तथा अंतिम एसजीपीए व सीजीपीए सम्मिलित है। अंक तालिका में विद्यार्थी को प्राप्त श्रेणी का उल्लेख भी होगा।

12. उपरोक्त के होते हुए भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.कॉम. उपाधि उपार्जित करने का शैक्षणिक कार्यक्रम, यूजीसी व संबद्ध सांविधिक संस्थाओं के संबंधित विनियमनों/मानदंडों में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

13. कार्यक्रम की रूपरेखाः

बी.कॉम. पाठ्यक्रम में हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यायवरण विज्ञान, फाईनेंस, लेखांकन एवं अन्य वाणिज्य संबंधित विषय मुख्य विषय होंगे। विद्यार्थी उपर दिए गए पूल विषयों में कुल 6 विषयों का एच्छिक विषयों के रुप में चयन कर सकते हैं।
विद्यार्थी को बी.कॉम की उपाधि प्राप्त करने हेतु कुल 24 विषयों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है । प्रति सेमिस्टर विषयों का चयन नीचे दिए गए पाठ्यक्रम की रुपरेखा के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

1. **अनिवार्य आधार पाठ्यक्रमः** विद्यार्थी के लिए क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमिस्टर में चार विषयों (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा –1, अंग्रेजी भाषा –2 व पर्यावरण विज्ञान) का अध्ययन अनिवार्य होगा।

2. **ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रमः** कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1, कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2, व्यक्तित्व विकास व साफ्ट स्किल्स–उपरोक्त चार विषयों में से विद्यार्थी को कोई भी दो विषय क्रमशः पंचम व षष्ठम सेमिस्टर में लेने होंगे।

3. **मूल विषयः** कार्यक्रम की रुपरेखा में मूल विषयों की श्रेणी में इंगित 12 विषयों में से तीन-तीन विषय क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय एवं चतुर्थ सेमिस्टर में लेना होगा।

4. **ऐच्छिक विषयः** विद्यार्थी को यूजीसी के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐच्छिक विषयों के पूल में से पंचम व षष्ठम सेमिस्टरों में तीन- तीन (कुल – 6) ऐच्छिक विषय चुनने होंगे।

5. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, वाणिज्य संकाय के अन्य विषयों का अध्ययन प्रारंभ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की रूपरेखाः** पाठ्यक्रम का निर्धारण संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा किया जाकर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7. बी.कॉम उपाधि की पाठ्यक्रम की विषयवार रूपरेखा निम्नानुसार होगीः

(बी.कॉम उपाधि कार्यक्रम–कार्यक्रम की रूपरेखा)

वर्ष	प्रथम सेमिस्टर	द्वितीय सेमिस्टर
1.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–1 – हिन्दी भाषा 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–1 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–1 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–1	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–2 – अंग्रेजी भाषा –1 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–2 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–2 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–2
	तृतीय सेमिस्टर	**चतुर्थ सेमिस्टर**
2.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–3 – अंग्रेजी भाषा –2 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–3 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–3 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–3	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–4 – पर्यावरण विज्ञान 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–4 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–4 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–4
	पंचम सेमिस्टर	**षष्ठम सेमिस्टर**
3.	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–1 2. ऐच्छिक विषय–1 3. ऐच्छिक विषय–2 4. ऐच्छिक विषय–3	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–2 2. ऐच्छिक विषय–4 3. ऐच्छिक विषय–5 4. ऐच्छिक विषय–6

पाठ्यक्रम

आधार पाठ्यक्रम

अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम	ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रम
हिन्दी भाषा –1	कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1
अंग्रेजी भाषा –1	कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2
अंग्रेजी भाषा –2	व्यक्तित्व विकास
पर्यावरण विज्ञान	साफ्ट स्किल्स

मूल पाठ्यक्रम			
1.	गणित और सांख्यिकी	1.	निगमित लेखांकन- II
2.	वित्तीय लेखांकन – I	2.	निवेश की अधारभूत
3.	वित्तीय लेखांकन – II	3.	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली
4.	व्यष्टि अर्थशास्त्र - I	4.	प्रबंध के सिद्धांत
5.	व्यष्टि अर्थशास्त्र – II	5.	लागत लेखांकन
6.	निगमित लेखांकन- I	6.	आयकर कानून तथा अभ्यास

ऐच्छिक पाठ्यक्रम			
1.	मुआवज़ा प्रबंधन	1.	ई-कॉमर्स
2.	व्यापार डाटा प्रसंस्करण	2.	प्रबंधन लेखांकन
3.	अंतरराष्ट्रीय व्यापार	3.	विश्लेषणात्मक कौशल निर्माण
4.	शासन, नैतिकता, और व्यापार की सामाज़िक जिम्मेदारी	4.	कॉर्पोरेट कर योजना
		5.	अंकेक्षण
5.	उद्यमिता और छोटे व्यवसाय	6.	संगठनात्मक व्यवहार
6.	सांख्यिकीय तरीके अनुसंधान में	7.	धन और बैंकिंग

8. परीक्षा योजना, मूल्यांकन प्रक्रिया व लेटर ग्रेडः परीक्षा योजना, मूल्यांकन व लेटर ग्रेड को देने की प्रक्रिया का विवरण अध्यादेश क्रमांक 28 में दिया गया है।

9. **सामान्यः** शैक्षणिक कार्यक्रम की रूपरेखा/विषयों आदि से संबंधित सभी विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

अध्यादेश क्रमांक 32

बी.कॉम. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम की संरचना

1. **उपाधि का नामः** उपाधि का नाम बैचलर ऑफ कॉमर्स - बी.कॉम (ऑनर्स) होगा ।

2. **संकायः** बी.कॉम. (ऑनर्स) का स्नातक पाठ्यक्रम, वाणिज्य संकाय द्वारा संचालित किया जायेगा

3. **शैक्षणिक वर्षः** प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमिस्टर होगें। प्रथम सेमिस्टर – जुलाई से दिसंबर व द्वितीय सेमिस्टर – जनवरी से जून तक होगा।

4. **प्रयोज्यता**

   1. कॉमर्स में स्नातक उपाधि (ऑनर्स) पाठ्यक्रम (संक्षेप में 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम), तीन वर्ष की अवधि का होगा, जिसे एतत्पश्चात 3 वर्षीय उपाधि कार्यक्रम कहा गया है और इसे बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाएगा।

   2. बी.कॉम. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षाएं, विद्यार्थी के ग्रेड व क्रेडिट पर आधारित होंगे।

5. **प्रवेश की पात्रता**

   1. बी.कॉम. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा वह होगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए।

   2. बी.कॉम. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में या शैक्षणिक परिषद द्वारा यथानिर्धारित, दिया जाएगा। प्रवेश नीति का निर्धारण विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

   3. विश्वविद्यालय, बी.कॉम. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में किसी विद्यार्थी को अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय से स्थानांतरित किए जाने पर इस शर्त के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा कि वह ऑनर्स कोर्स में अध्यनरत हो । प्रवेश दे सकेगा। ऐसा प्रवेश किसी भी स्तर पर दिया जा सकेगा, बशर्ते विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों की पूर्ति करता हो। परंतु, किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   4. विश्वविद्यालय, असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुराचरण के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने या उसे किसी भी स्तर पर उसका शिक्षण कार्य रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की अवधि**

   1. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो कि छह सेमिस्टरों में विभाजित होगी।

   2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा, जिसमें सेमिस्टर ब्रेकों के संबंध में विवरण भी होगा।

3. किसी भी विद्यार्थी के लिए बी.कॉम. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि शामिल होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

7. परीक्षाएं

1. विश्वविद्यालय, सतत मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करेगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए विभिन्न टेस्टों/क्विज़ों इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में पाठ्यक्रम के अध्ययन में विद्यार्थी के प्रदर्शन के आंकलन के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा व पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों में विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए टेस्टों आदि की विस्तृत योजना वही होगी, जो शैक्षणिक परिषद द्वारा इस हेतु निर्धारित की जाए।

3. किसी विद्यार्थी को संकाय अध्यक्ष/शैक्षणिक समन्वयक द्वारा निम्न में से किसी भी आधार पर सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगाः—

   (अ) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

   (ब) संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक की अनुशंसा पर,यदि

      (1) विद्यार्थी की सेमिस्टर की अवधि में व्याख्यानों/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम हो।

      (2) सेमिस्टर के दौरान लिए गए टेस्टों में विद्यार्थी का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा हो।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के वे विद्यार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे जो पिछली सेमिस्टर परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हों या उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

5. कुलपति के अनुमोदन से, अनुदेशक द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेकअप परीक्षा आयोजित की जा सकेगी जो टेस्टों में सम्मिलित न हो सके हों या उनमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

6. अगर कोई विद्यार्थी किसी सेमिस्टर परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अपनी श्रेणी/अंकों/ग्रेडों में सुधार के लिए या अन्य किसी उद्देश्य से परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. प्रगति का मूल्यांकन (आंकलन)

(1) अंक निर्धारण की प्रक्रिया

   (अ) अभ्यर्थी की प्रत्येक सेमिस्टर में पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए प्रगति का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और विभिन्न

टेस्टों के द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण, शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुरूप किया जाएगा।

(ब) विषय के विभिन्न घटकों के मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को जोड़कर उसके ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

(स) जिस विद्यार्थी को किसी विषय में दो टेस्टों में 20 से कम अंक मिले हैं, उसे उस विषय की सेमिस्टर के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) क्रेडिट देने की प्रक्रिया

(अ) किसी विषय में क्रेडिट की गणना के लिए एक घंटे की अवधि के व्याख्यान (एल) को एक क्रेडिट व ट्यूटोरियल (टी) व/अथवा प्रैक्टिकल (पी) में दो घंटे की अवधि की उपस्थिति को एक क्रेडिट के समकक्ष माना जाएगा।

(1) अतः क्रेडिट={एल+(टी+पी)/2} किसी विषय में क्रेडिट भिन्नात्मक संख्या न होकर पूर्ण संख्या होगी।

(2) कोई उम्मीदवार किसी सेमिस्टर में उसे आबंटित क्रेडिट तभी उपार्जित कर सकेगा जब वह उक्त विषय में सेमिस्टर में मान्य ग्रेड प्राप्त कर ले।

(3) अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय में मान्य ग्रेड नहीं मिलता तो उसे उस विषय में बैकलॉग घोषित कर दिया जाएगा।

(4) कोई उम्मीदवार बी.कॉम. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के लिए अर्ह तभी होगा जब वह उस पाठ्यक्रम में, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, सभी क्रेडित उपार्जित कर ले।

9. उपस्थिति

किसी सेमिस्टर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के तौर पर सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की कक्षाओं में कम से 75 प्रतिशत की उपस्थिति हो। परंतु वास्तविक कठिनाई कि स्थिति में कुलपति को उपस्थिति में 15 प्रतिशत छूट देने का अधिकार होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

1. शैक्षणिक मंडल द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के वेटेज के आधार पर क्रेडिट की अनुशंसा की जाएगी और इसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद व शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। किसी भी सेमिस्टर में केवल अनुमोदित पाठ्यक्रमों का ही अध्ययन किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थी को लेटर ग्रेड दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी को दिया जाने वाला लेटर ग्रेड, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन के अन्य घटकों में उसके समग्र प्रदर्शन पर आधारित होगा।

3. प्रयुक्त किए जाने वाले लेटर ग्रेड व उनके संख्यात्मक तुल्य, जिसे ग्रेड पाईंट कहा जाता है, इस हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमनों पर आधारित व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं के अनुरूप होंगे।

4. विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए लेटर ग्रेड दिया जाएगा।

5. किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप, किसी विशिष्ट विषय में दिए गए क्रेडिट तभी प्राप्त होंगे जब वह मान्य ग्रेड (न्यूनतम पी अर्थात, विषय में उत्तीर्ण) प्राप्त कर ले।

6. अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय (पाठ्यक्रम) में 'एफ' ग्रेड प्राप्त होता है तो उसे उस विषय (पाठ्यक्रम) मे अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा या उक्त विषय (पाठ्यक्रम) का अध्ययन पुनः करना होगा।

7. किसी सेमिस्टर का सेमिस्टर ग्रेड पाईंट एवरेज (एसजीपीए), संबंधित सेमिस्टर में विद्यार्थी को प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड अंकों का भारित औसत होगा। प्रत्येक सेमिस्टर के एसजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

8. किसी विद्यार्थी का क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पाईंट एवरेज (सीजीपीए), संबंधित विद्यार्थी द्वारा उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश लिए जाने के बाद से उसके द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में अर्जित पाठ्यक्रम ग्रेड पाईंटस का भारित औसत होगा। सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

9. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, दशमलव के बाद के दो स्थानों तक (बिना पूर्णांकित किए) की जाएगी।

10. उपाधि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 4.00 सीजीपीए प्राप्त करना होगा।

11. अंतिम सेमिस्टर परीक्षा के अंत में दी जाने वाली अंतिम परीक्षा ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शाया जाएगा। शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप, सीजीपीए को तुल्य प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

11. अंकतालिका

पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, विद्यार्थी को जारी की जाने वाली अंकतालिका में विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक सेमिस्टर में लिए गए समस्त विषयों में प्रदर्शन का समेकित रिकार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विषय के ग्रेड, प्रत्येक सेमिस्टर का एसजीपीए व सीजीपीए तथा अंतिम एसजीपीए व सीजीपीए सम्मिलित है। अंक तालिका में विद्यार्थी को प्राप्त श्रेणी का उल्लेख भी होगा।

12. उपरोक्त के होते हुए भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.कॉम. (ऑनर्स) उपाधि उपार्जित करने का शैक्षणिक कार्यक्रम, यूजीसी व संबद्ध सांविधिक संस्थाओं के संबंधित विनियमनों/मानदंडों में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

13. कार्यक्रम की रूपरेखाः

बी.कॉम. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यायवरण विज्ञान, फाईनेस, लेखांकन एवं अन्य वाणिज्य संबंधित विषय मुख्य विषय होंगे। विद्यार्थी उपर दिए गए पूल विषयों में कुल 6 विषयों का एच्छिक विषयों के रुप में चयन कर सकते हैं । बी.कॉम (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की रुपरेखा में ऑनर्स विषयों के रुप में इंगित विषयों में से 4 अतिरिक्त विषयों का चयन ऑनर्स के लिए करना होगा, जो उन्हें एक एक करके क्रमशः तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ सेमिस्टर में पढ़ने होंगे । इस तरह विद्यार्थी को बी.कॉम (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने हेतु कुल 28 विषयों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है । प्रति सेमिस्टर विषयों का चयन नीचे दिए गए पाठ्यक्रम की रुपरेखा के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

बी.कॉम (ऑनर्स) की उपाधि अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को इस तरह कुल 28 विषयों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

1. **अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम**: विद्यार्थी के लिए क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमिस्टर में चार विषयों (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा –1, अंग्रेजी भाषा –2 व पर्यावरण विज्ञान) का अध्ययन अनिवार्य होगा।

2. **ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रम**: कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1, कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2, व्यक्तित्व विकास व साफ्ट स्किल्स–उपरोक्त चार विषयों में से विद्यार्थी को कोई भी दो विषय क्रमशः पंचम व षष्ठम सेमिस्टर में लेने होंगे।

3. **मूल विषयः** कार्यक्रम की रुपरेखा में मूल विषयों की श्रेणी में इंगित 12 विषयों में से तीन-तीन विषय क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय एवं चतुर्थ सेमिस्टर में लेना होगा।

4. **ऐच्छिक विषयः** विद्यार्थी को यूजीसी के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐच्छिक विषयों के पूल में से पंचम व षष्ठम सेमिस्टरों में तीन- तीन ऐच्छिक विषय चुनने होंगे।

5. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, वाणिज्य संकाय के अन्य विषयों का अध्ययन प्रारंभ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की रूपरेखाः** पाठ्यक्रम का निर्धारण संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा किया जाकर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7. बी.कॉम ऑनर्स उपाधि की पाठ्यक्रम की विषयवार रूपरेखा निम्नानुसार होगी:

(बी.कॉम (आनर्स) उपाधि कार्यक्रम–कार्यक्रम की रूपरेखा)

वर्ष	प्रथम सेमिस्टर	द्वितीय सेमिस्टर
1.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–1 – हिन्दी भाषा 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–1 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–1 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–1	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–2 – अंग्रेजी भाषा –1 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–2 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–2 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–2
	तृतीय सेमिस्टर	**चतुर्थ सेमिस्टर**
2.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–3 – अंग्रेजी भाषा –2 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–3 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–3 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–3	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–4 – पर्यावरण विज्ञान 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–4 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–4 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–4
	पंचम सेमिस्टर	**षष्ठम सेमिस्टर**
3.	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–1 2. ऐच्छिक विषय–1 3. ऐच्छिक विषय–2 4. ऐच्छिक विषय–3	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–2 2. ऐच्छिक विषय–4 3. ऐच्छिक विषय–5 4. ऐच्छिक विषय–6

पाठ्यक्रम

आधार पाठ्यक्रम

अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम	ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रम
हिन्दी भाषा –1	कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1
अंग्रेजी भाषा –1	कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2
अंग्रेजी भाषा –2	व्यक्तित्व विकास
पर्यावरण विज्ञान	साफ्ट स्किल्स

मूल पाठ्यक्रम	
1. गणित और सांख्यिकी	1. निगमित लेखांकन- II
2. वित्तीय लेखांकन – I	2. निवेश की अधारभूत
3. वित्तीय लेखांकन – II	3. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली
4. व्यष्टि अर्थशास्त्र - I	4. प्रबंध के सिद्धांत
5. व्यष्टि अर्थशास्त्र – II	5. लागत लेखांकन
6. निगमित लेखांकन- I	6. आयकर कानून तथा अभ्यास

ऐच्छिक पाठ्यक्रम	
1. मुआवज़ा प्रबंधन	1. ई-कॉमर्स
2. व्यापार डाटा प्रसंस्करण	2. प्रबंधन लेखांकन
3. अंतरराष्ट्रीय व्यापार	3. विश्लेषणात्मक कौशल निर्माण
4. शासन, नैतिकता, और व्यापार की सामाजिक जिम्मेदारी	4. कॉर्पोरेट कर योजना
5. उद्यमिता और छोटे व्यवसाय	5. अंकेक्षण
6. सांख्यिकीय तरीके अनुसंधान में	6. संगठनात्मक व्यवहार
	7. धन और बैंकिंग

ऑनर्स पाठ्यक्रम	
1. वित्तीय प्रबंधन	4. निवेश विश्लेषण तथा सुरक्षा विश्लेषण
2. वित्तीय बाज़ार, संस्थान एवं वित्तीय सेवाएं	5. भारतीय टैक्स संरचना
3. कर नियोजन और प्रक्रिया	6. अंतरराष्ट्रीय लेखा
	7. कर योजना तथा निवेश

8. परीक्षा योजना, मूल्यांकन प्रक्रिया व लेटर ग्रेडः परीक्षा योजना, मूल्यांकन व लेटर ग्रेड को देने की प्रक्रिया का विवरण अध्यादेश क्रमांक 28 में दिया गया है।

9. **सामान्यः** शैक्षणिक कार्यक्रम की रूपरेखा/विषयों आदि से संबंधित सभी विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

अध्यादेश क्रमांक 33

बी.एस-सी. पाठ्यक्रम की संरचना

1. **उपाधि का नामः** उपाधि का नाम बैचलर ऑफ साईंस – बी.एस-सी. होगा

2. **संकायः** विज्ञान का स्नातक पाठ्यक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा संचालित किया जायेगा

3. **शैक्षणिक वर्षः** प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमिस्टर होगें। प्रथम सेमिस्टर – जुलाई से दिसंबर व द्वितीय सेमिस्टर – जनवरी से जून तक होगा।

4. **प्रयोज्यता**

    1. विज्ञान में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम (संक्षेप में 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम), तीन वर्ष की अवधि का होगा, जिसे एतत्पश्चात 3 वर्षीय उपाधि कार्यक्रम कहा गया है और इसे बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाएगा।

    2. बी.एस-सी. पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षाएं, विद्यार्थी के ग्रेड व क्रेडिट पर आधारित होंगे।

5. **प्रवेश की पात्रता**

    1. बी.एस-सी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा वह होगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए।

    2. बी.एस-सी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में या शैक्षणिक परिषद द्वारा यथानिर्धारित, दिया जाएगा। प्रवेश नीति का निर्धारण विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

    3. विश्वविद्यालय, बी.एस-सी. पाठ्यक्रम में किसी विद्यार्थी को अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय से स्थानांतरित किए जाने पर प्रवेश दे सकेगा। ऐसा प्रवेश किसी भी स्तर पर दिया जा सकेगा, बशर्ते विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों की पूर्ति करता हो। परंतु, किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    4. विश्वविद्यालय, असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुराचरण के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने या उसे किसी भी स्तर पर उसका शिक्षण कार्य रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की अवधि**

    1. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो कि छह सेमिस्टरों में विभाजित होगी।

    2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा, जिसमें सेमिस्टर ब्रेकों के संबंध में विवरण भी होगा।

3. किसी भी विद्यार्थी के लिए बी.एस-सी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि शामिल होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

7. परीक्षाएं

1. विश्वविद्यालय, सतत मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करेगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए विभिन्न टेस्टों/क्विज़ों इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में पाठ्यक्रम के अध्ययन में विद्यार्थी के प्रदर्शन के आंकलन के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा व पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों में विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए टेस्टों आदि की विस्तृत योजना वही होगी, जो शैक्षणिक परिषद द्वारा इस हेतु निर्धारित की जाए।

3. किसी विद्यार्थी को संकाय अध्यक्ष/शैक्षणिक समन्वयक द्वारा निम्न में से किसी भी आधार पर सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगाः—

   (अ) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

   (ब) संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक की अनुशंसा पर,यदि

   (1) विद्यार्थी की सेमिस्टर की अवधि में व्याख्यानों/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम हो।

   (2) सेमिस्टर के दौरान लिए गए टेस्टों में विद्यार्थी का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा हो।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के वे विद्यार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे जो पिछली सेमिस्टर परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हों या उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

5. कुलपति के अनुमोदन से, अनुदेशक द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेकअप परीक्षा आयोजित की जा सकेगी जो टेस्टों में सम्मिलित न हो सके हों या उनमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

6. अगर कोई विद्यार्थी किसी सेमिस्टर परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अपनी श्रेणी/अंकों/ग्रेडों में सुधार के लिए या अन्य किसी उद्देश्य से परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. प्रगति का मूल्यांकन (आंकलन)

(1) अंक निर्धारण की प्रक्रिया

   (अ) अभ्यर्थी की प्रत्येक सेमिस्टर में पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए प्रगति का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और विभिन्न

टेस्टों के द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण, शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुरूप किया जाएगा।

(ब) विषय के विभिन्न घटकों के मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को जोड़कर उसके ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

(स) जिस विद्यार्थी को किसी विषय में दो टेस्टों में 20 से कम अंक मिले हैं, उसे उस विषय की सेमिस्टर के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) क्रेडिट देने की प्रक्रिया

(अ) किसी विषय में क्रेडिट की गणना के लिए एक घंटे की अवधि के व्याख्यान (एल) को एक क्रेडिट व ट्यूटोरियल (टी) व/अथवा प्रैक्टिकल (पी) में दो घंटे की अवधि की उपस्थिति को एक क्रेडिट के समकक्ष माना जाएगा।

(1) अतः क्रेडिट={एल+(टी+पी)/2} किसी विषय में क्रेडिट भिन्नात्मक संख्या न होकर पूर्ण संख्या होगी।

(2) कोई उम्मीदवार किसी सेमिस्टर में उसे आबंटित क्रेडिट तभी उपार्जित कर सकेगा जब वह उक्त विषय में सेमिस्टर में मान्य ग्रेड प्राप्त कर ले।

(3) अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय में मान्य ग्रेड नहीं मिलता तो उसे उस विषय में बैकलॉग घोषित कर दिया जाएगा।

(4) कोई उम्मीदवार बी.एस-सी. की उपाधि प्राप्त करने के लिए अर्ह तभी होगा जब वह उस पाठ्यक्रम में, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, सभी क्रेडित उपार्जित कर ले।

9. उपस्थिति

किसी सेमिस्टर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के तौर पर सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की कक्षाओं में कम से 75 प्रतिशत की उपस्थिति हो। परंतु वास्तविक कठिनाई कि स्थिति में कुलपति को उपस्थिति में 15 प्रतिशत छूट देने का अधिकार होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

1. शैक्षणिक मंडल द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के वेटेज के आधार पर क्रेडिट की अनुशंसा की जाएगी और इसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद व शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। किसी भी सेमिस्टर में केवल अनुमोदित पाठ्यक्रमों का ही अध्ययन किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थी को लेटर ग्रेड दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी को दिया जाने वाला लेटर ग्रेड, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन के अन्य घटकों में उसके समग्र प्रदर्शन पर आधारित होगा।

3. प्रयुक्त किए जाने वाले लेटर ग्रेड व उनके संख्यात्मक तुल्य, जिसे ग्रेड पाईंट कहा जाता है, इस हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमनों पर आधारित व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं के अनुरूप होंगे।

4. विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए लेटर ग्रेड दिया जाएगा।

5. किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप, किसी विशिष्ट विषय में दिए गए क्रेडिट तभी प्राप्त होंगे जब वह मान्य ग्रेड (न्यूनतम पी अर्थात, विषय में उत्तीर्ण) प्राप्त कर ले।

6. अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय (पाठ्यक्रम) में 'एफ' ग्रेड प्राप्त होता है तो उसे उस विषय (पाठ्यक्रम) मे अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा या उक्त विषय (पाठ्यक्रम) का अध्ययन पुनः करना होगा।

7. किसी सेमिस्टर का सेमिस्टर ग्रेड पाईंट एवरेज (एसजीपीए), संबंधित सेमिस्टर में विद्यार्थी को प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड अंकों का भारित औसत होगा। प्रत्येक सेमिस्टर के एसजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

8. किसी विद्यार्थी का क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पाईंट एवरेज (सीजीपीए), संबंधित विद्यार्थी द्वारा उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश लिए जाने के बाद से उसके द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में अर्जित पाठ्यक्रम ग्रेड पाईंटस का भारित औसत होगा। सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

9. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, दशमलव के बाद के दो स्थानों तक (बिना पूर्णांकित किए) की जाएगी।

10. उपाधि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 4.00 सीजीपीए प्राप्त करना होगा।

11. अंतिम सेमिस्टर परीक्षा के अंत में दी जाने वाली अंतिम परीक्षा ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शाया जाएगा। शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप, सीजीपीए को तुल्य प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

11. अंकतालिका

पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, विद्यार्थी को जारी की जाने वाली अंकतालिका में विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक सेमिस्टर में लिए गए समस्त विषयों में प्रदर्शन का समेकित रिकार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विषय के ग्रेड, प्रत्येक सेमिस्टर का एसजीपीए व सीजीपीए तथा अंतिम एसजीपीए व सीजीपीए सम्मिलित है। अंक तालिका में विद्यार्थी को प्राप्त श्रेणी का उल्लेख भी होगा।

12. उपरोक्त के होते हुए भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.एस-सी. उपाधि उपार्जित करने का शैक्षणिक कार्यक्रम, यूजीसी व संबद्ध सांविधिक संस्थाओं के संबंधित विनियमनों/मानदंडों में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

13. कार्यक्रम की रूपरेखाः

बी.एस-सी. पाठ्यक्रम में भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी मुख्य विषय होंगे। विद्यार्थी इन चार विषयों अर्थात भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी में से किन्हीं भी तीन का समूह चयनित कर सकेंगे। बी.एस-सी. (पास) की उपाधि अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को कुल 24 विषयों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है । प्रति सेमिस्टर विषयों का चयन नीचे दिए गए पाठ्यक्रम की रुपरेखा के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

1. **अनिवार्य आधार पाठ्यक्रमः** विद्यार्थी के लिए क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमिस्टर में चार विषयों (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा –1, अंग्रेजी भाषा –2 व पर्यावरण विज्ञान) का अध्ययन अनिवार्य होगा।

2. **ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रमः** कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1, कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2, व्यक्तित्व विकास व साफ्ट स्किल्स–उपरोक्त चार विषयों में से विद्यार्थी को कोई भी दो विषय क्रमशः पंचम व षष्ठम सेमिस्टर में लेने होंगे।

3. **मूल विषयः** भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी समूहों में से प्रत्येक में चार विषय हैं। इनमें से तीन विषयों को अनिवार्य मुख्य विषय के रूप में चुना जाना होगा। प्रत्येक मूल विषय का एक प्रश्नपत्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमिस्टर में होगा।

4. **ऐच्छिक विषयः** विद्यार्थी को यूजीसी के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐच्छिक विषयों के पूल में से पंचम व षष्ठम सेमिस्टरों में तीन- तीन (कुल – 6) ऐच्छिक विषय चुनने होंगे।

5. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संकाय के अन्य विषयों का अध्ययन प्रारंभ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की रूपरेखाः** पाठ्यक्रम का निर्धारण संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा किया जाकर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7. बी.एस.सी उपाधि कार्यक्रम की विषयवार (भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी) रूपरेखा निम्नानुसार होगीः

(बी.एस.सी **उपाधि कार्यक्रम**– भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी)

कार्यक्रम की रूपरेखा

वर्ष	प्रथम सेमिस्टर	द्वितीय सेमिस्टर
1.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–1 – हिन्दी भाषा 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–1 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–1 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–1	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–2 – अंग्रेजी भाषा –1 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–2 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–2 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–2
	तृतीय सेमिस्टर	**चतुर्थ सेमिस्टर**
2.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–3 – भाषा अंग्रेजी–2 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–3 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–3 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–3	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–4 – पर्यावरण विज्ञान 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–4 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–4 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–4
	पंचम सेमिस्टर	**षष्ठम सेमिस्टर**
3.	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–1 2. ऐच्छिक विषय–1 3. ऐच्छिक विषय–2 4. ऐच्छिक विषय–3	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–2 2. ऐच्छिक विषय–4 3. ऐच्छिक विषय–5 4. ऐच्छिक विषय–6

आधार पाठ्यक्रम

अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम	ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रम
हिन्दी भाषा –1 अंग्रेजी भाषा –1 अंग्रेजी भाषा –2 पर्यावरण विज्ञान	कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1 कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2 व्यक्तित्व विकास साफ्ट स्किल्स

पाठ्यक्रम

मूल पाठ्यक्रम

भौतिकी	रसायनशास्त्र
1. प्रश्न पत्र 1- उष्मा एवं उष्मागतिकी 2. प्रश्न पत्र 2 - तरंगें एवं प्रकाश 3. प्रश्न पत्र 3 - प्रकाश विद्युत तरंगें एवं क्वांटम यांत्रिकी 4. प्रश्न पत्र 4 - भौतिकी के गणितीय पद्धति	1. प्रश्न पत्र 1- मूलभूत रसायन शास्त्र 2. प्रश्न पत्र 2 – भौतिक रसायन 3. प्रश्न पत्र 3 – अकार्बनिक रसायन 4. प्रश्न पत्र 4 – कार्बनिक रसायन
गणित	**इलेक्ट्रॉनिकी**
1. प्रश्न पत्र 1- सदिश ज्यामिती 2. प्रश्न पत्र 2 – अवकलन - I 3. प्रश्न पत्र 3 – समाकलन - I 4. प्रश्न पत्र 4 – साधारण अवकल समीकरण - I	1. प्रश्न पत्र 1- मूलभूत इलेक्ट्रॉनिकी 2. प्रश्न पत्र 2 – अर्धचालक उपकरण एवं उपयोग 3. प्रश्न पत्र 3 – अर्धचालक भौतिकी 4. प्रश्न पत्र 4 – इलेक्ट्रॉनिकी मापन

ऐच्छिक पाठ्यक्रम

भौतिकी	रसायनशास्त्र
1. चिरसम्मत यांत्रिकी 2. ठोस अवस्था भौतिकी 3. आधुनिक भौतिकी 4. सांख्यिकीय भौतिकी 5. आधारभूत विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिकी 6. तरल यांत्रिकी 7. दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी 8. आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत	1. विश्लेषणात्मक रसायन 2. भौतिक रसायन – आण्विक दृष्टिकोण 3. कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन के औधोगिक दृष्टिकोण 4. समन्वयक रसायनशास्त्र 5. क्वांटम रसायन शास्त्र 6. रसायनिक गतिकी 7. पर्यावरणीय रसायन शास्त्र 8. आधुनिक भौतिक रसायनशास्त्र के सिद्धांत
गणित	**इलेक्ट्रॉनिकी**
1. संचालन शोध 2. रियल विश्लेषण 3. सम्मिश्र विश्लेषण 4. अवकलन - II 5. समाकलन-II 6. अवकलनीय ज्यामिति एवं टेंसर विश्लेषण 7. गणितीय मॉडलिंग 8. सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति	1. सिग्नल एवं सिस्टम 2. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ 3. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ 4. एनालॉग संचार 5. डिजिटल संचार 6. चित्र प्रसंस्करण 7. पॉवर इलेक्ट्रॉनिकी 8. प्रकाशिय तंतु संचार

8. परीक्षा योजना, मूल्यांकन प्रक्रिया व लेटर ग्रेडः परीक्षा योजना, मूल्यांकन व लेटर ग्रेड को देने की प्रक्रिया का विवरण अध्यादेश क्रमांक 28 में दिया गया है।

9. **सामान्यः** शैक्षणिक कार्यक्रम की रूपरेखा/विषयों आदि से संबंधित सभी विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

अध्यादेश क्रमांक 34

बी.एस-सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम की संरचना

1. **उपाधि का नामः** उपाधि का नाम बैचलर ऑफ साईंस - बी.एस-सी. (ऑनर्स) होगा

2. **संकायः** बी.एस-सी. (ऑनर्स) का स्नातक पाठ्यक्रम, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी संकाय द्वारा संचालित किया जायेगा

3. **शैक्षणिक वर्षः** प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमिस्टर होगें। प्रथम सेमिस्टर – जुलाई से दिसंबर व द्वितीय सेमिस्टर – जनवरी से जून तक होगा।

4. **प्रयोज्यता**

   1. विज्ञान में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम (संक्षेप में 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम), तीन वर्ष की अवधि का होगा, जिसे एतत्पश्चात 3 वर्षीय उपाधि कार्यक्रम कहा गया है और इसे बैचलर ऑफ साईंस (ऑनर्स) कहा जाएगा।

   2. बी.एस-सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षाएं, विद्यार्थी के ग्रेड व क्रेडिट पर आधारित होंगे।

5. **प्रवेश की पात्रता**

   1. बी.एस-सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा वह होगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए।

   2. बी.एस-सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में या शैक्षणिक परिषद द्वारा यथानिर्धारित, दिया जाएगा। प्रवेश नीति का निर्धारण विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

   3. विश्वविद्यालय, बी.एस-सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में किसी विद्यार्थी को अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय से स्थानांतरित किए जाने पर इस शर्त के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा कि वह ऑनर्स कोर्स में अध्यनरत हो । ऐसा प्रवेश किसी भी स्तर पर दिया जा सकेगा, बशर्ते विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों की पूर्ति करता हो। परंतु, किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   4. विश्वविद्यालय, अंसतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुराचरण के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने या उसे किसी भी स्तर पर उसका शिक्षण कार्य रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की अवधि**

   1. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो कि छह सेमिस्टरों में विभाजित होगी।

   2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा, जिसमें सेमिस्टर ब्रेकों के संबंध में विवरण भी होगा।

3. किसी भी विद्यार्थी के लिए बी.एस-सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि शामिल होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

7. परीक्षाएं

1. विश्वविद्यालय, सतत मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करेगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए विभिन्न टेस्टों/क्विज़ों इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में पाठ्यक्रम के अध्ययन में विद्यार्थी के प्रदर्शन के आंकलन के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा व पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों में विद्यार्थी की प्रगति का आंकलन करने के लिए टेस्टों आदि की विस्तृत योजना वही होगी, जो शैक्षणिक परिषद द्वारा इस हेतु निर्धारित की जाए।

3. किसी विद्यार्थी को संकाय अध्यक्ष/शैक्षणिक समन्वयक द्वारा निम्न में से किसी भी आधार पर सेमिस्टर के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगाः—

   (अ) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

   (ब) संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक की अनुशंसा पर,यदि

      (1) विद्यार्थी की सेमिस्टर की अवधि में व्याख्यानों/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत या शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम हो।

      (2) सेमिस्टर के दौरान लिए गए टेस्टों में विद्यार्थी का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा हो।

4. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के वे विद्यार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे जो पिछली सेमिस्टर परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हों या उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

5. कुलपति के अनुमोदन से, अनुदेशक द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेकअप परीक्षा आयोजित की जा सकेगी जो टेस्टों में सम्मिलित न हो सके हों या उनमें अनुत्तीर्ण हो गए हों।

6. अगर कोई विद्यार्थी किसी सेमिस्टर परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अपनी श्रेणी/अंकों/ग्रेडों में सुधार के लिए या अन्य किसी उद्देश्य से परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. प्रगति का मूल्यांकन (आंकलन)

(1) अंक निर्धारण की प्रक्रिया

   (अ) अभ्यर्थी की प्रत्येक सेमिस्टर में पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए प्रगति का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और विभिन्न

टेस्टों के द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण, शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुरूप किया जाएगा।

(ब) विषय के विभिन्न घटकों के मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को जोड़कर उसके ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

(स) जिस विद्यार्थी को किसी विषय में दो टेस्टों में 20 से कम अंक मिले हैं, उसे उस विषय की सेमिस्टर के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) क्रेडिट देने की प्रक्रिया

(अ) किसी विषय में क्रेडिट की गणना के लिए एक घंटे की अवधि के व्याख्यान (एल) को एक क्रेडिट व ट्यूटोरियल (टी) व/अथवा प्रैक्टिकल (पी) में दो घंटे की अवधि की उपस्थिति को एक क्रेडिट के समकक्ष माना जाएगा।

(1) अतः क्रेडिट={एल+(टी+पी)/2} किसी विषय में क्रेडिट भिन्नात्मक संख्या न होकर पूर्ण संख्या होगी।

(2) कोई उम्मीदवार किसी सेमिस्टर में उसे आबंटित क्रेडिट तभी उपार्जित कर सकेगा जब वह उक्त विषय में सेमिस्टर में मान्य ग्रेड प्राप्त कर ले।

(3) अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय में मान्य ग्रेड नहीं मिलता तो उसे उस विषय में बैकलॉग घोषित कर दिया जाएगा।

(4) कोई उम्मीदवार बी.एस-सी. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के लिए अर्ह तभी होगा जब वह उस पाठ्यक्रम में, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, सभी क्रेडित उपार्जित कर ले।

9. उपस्थिति

किसी सेमिस्टर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के तौर पर सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की कक्षाओं में कम से 75 प्रतिशत की उपस्थिति हो। परंतु वास्तविक कठिनाई कि स्थिति में कुलपति को उपस्थिति में 15 प्रतिशत छूट देने का अधिकार होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

1. शैक्षणिक मंडल द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के वेटेज के आधार पर क्रेडिट की अनुशंसा की जाएगी और इसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद व शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। किसी भी सेमिस्टर में केवल अनुमोदित पाठ्यक्रमों का ही अध्ययन किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थी को लेटर ग्रेड दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी को दिया जाने वाला लेटर ग्रेड, सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन के अन्य घटकों में उसके समग्र प्रदर्शन पर आधारित होगा।

3. प्रयुक्त किए जाने वाले लेटर ग्रेड व उनके संख्यात्मक तुल्य, जिसे ग्रेड पाईंट कहा जाता है, इस हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमनों पर आधारित व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं के अनुरूप होंगे।

4. विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए लेटर ग्रेड दिया जाएगा।

5. किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप, किसी विशिष्ट विषय में दिए गए क्रेडिट तभी प्राप्त होंगे जब वह मान्य ग्रेड (न्यूनतम पी अर्थात, विषय में उत्तीर्ण) प्राप्त कर ले।

6. अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय (पाठ्यक्रम) में 'एफ' ग्रेड प्राप्त होता है तो उसे उस विषय (पाठ्यक्रम) मे अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा या उक्त विषय (पाठ्यक्रम) का अध्ययन पुनः करना होगा।

7. किसी सेमिस्टर का सेमिस्टर ग्रेड पाईंट एवरेज (एसजीपीए), संबंधित सेमिस्टर में विद्यार्थी को प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड अंकों का भारित औसत होगा। प्रत्येक सेमिस्टर के एसजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

8. किसी विद्यार्थी का क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पाईंट एवरेज (सीजीपीए), संबंधित विद्यार्थी द्वारा उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश लिए जाने के बाद से उसके द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में अर्जित पाठ्यक्रम ग्रेड पाईंटस का भारित औसत होगा। सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, यूजीसी के मार्गनिर्देशों के अनुरूप की जाएगी।

9. प्रत्येक सेमिस्टर के अंत में सीजीपीए की गणना, दशमलव के बाद के दो स्थानों तक (बिना पूर्णांकित किए) की जाएगी।

10. उपाधि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 4.00 सीजीपीए प्राप्त करना होगा।

11. अंतिम सेमिस्टर परीक्षा के अंत में दी जाने वाली अंतिम परीक्षा ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शाया जाएगा। शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप, सीजीपीए को तुल्य प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

11. अंकतालिका

पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, विद्यार्थी को जारी की जाने वाली अंकतालिका में विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक सेमिस्टर में लिए गए समस्त विषयों में प्रदर्शन का समेकित रिकार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विषय के ग्रेड, प्रत्येक सेमिस्टर का एसजीपीए व सीजीपीए तथा अंतिम एसजीपीए व सीजीपीए सम्मिलित है। अंक तालिका में विद्यार्थी को प्राप्त श्रेणी का उल्लेख भी होगा।

12. उपरोक्त के होते हुए भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.एस-सी. (ऑनर्स) उपाधि उपार्जित करने का शैक्षणिक कार्यक्रम, यूजीसी व संबद्ध सांविधिक संस्थाओं के संबंधित विनियमनों/मानदंडों में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

13. कार्यक्रम की रूपरेखाः

बी.एस-सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी मुख्य विषय होंगे। विद्यार्थी इन चार विषयों अर्थात भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी में से किन्हीं भी तीन का समूह चयनित कर सकेंगे। बी.एस-सी. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को पूर्व में चयनित 3 विषयों में से किसी एक विषय का चयन ऑनर्स के लिए करना होगा। चयनित आनर्स के विषय में से 4 अतिरिक्त विषय लेने होंगे जो उन्हें एक एक करके क्रमशः तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ सेमिस्टर में पढ़ने होंगे। इस तरह बी.एस-सी. (ऑनर्स) की उपाधि के लिए, कुल 28 विषयों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। प्रति सेमिस्टर में लिए गए विषय पाठ्यक्रम रुपरेखा के अनुरुप ही होने चाहिए।

बी.एस-सी. (ऑनर्स) की उपाधि अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को इस तरह कुल 28 विषयों में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करना होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

1. **अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम:** विद्यार्थी के लिए क्रमशः प्रथम, द्वितीय तृतीय व चतुर्थ सेमिस्टर में चार विषयों (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा –1, अंग्रेजी भाषा –2 व पर्यावरण विज्ञान) का अध्ययन अनिवार्य होगा।

2. **ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रम:** कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1, कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2, व्यक्तित्व विकास व साफ्ट स्किल्स–उपरोक्त चार विषयों में से विद्यार्थी को कोई भी दो विषय क्रमशः पंचम व षष्ठम सेमिस्टर में लेने होंगे।

3. **मूल विषय:** भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी समूहों में से प्रत्येक में चार विषय हैं। इनमें से तीन विषयों को अनिवार्य मुख्य विषय के रूप में चुना जाना होगा। प्रत्येक मूल विषय का एक प्रश्नपत्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमिस्टर में होगा।

4. **ऐच्छिक विषय:** विद्यार्थी को यूजीसी के च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐच्छिक विषयों के पूल में से पंचम व षष्ठम सेमिस्टरों में तीन- तीन ऐच्छिक विषय चुनने होंगे।

5. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी संकाय के अन्य विषयों का अध्ययन प्रारंभ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. **पाठ्यक्रम की रूपरेखा:** पाठ्यक्रम का निर्धारण संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा किया जाकर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7. बी.एस-सी. (ऑनर्स) उपाधि कार्यक्रम की विषयवार (भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी) रूपरेखा निम्नानुसार होगी:

(बी.एस-सी. (ऑनर्स) उपाधि कार्यक्रम– भौतिकी, रसायन, गणित एवं इलेक्ट्रॉनिकी)
कार्यक्रम की रूपरेखा

वर्ष	प्रथम सेमिस्टर	द्वितीय सेमिस्टर
1.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–1 – हिन्दी भाषा 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–1 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–1 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–1	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–2 – अंग्रेजी भाषा –1 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–2 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–2 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–2
	तृतीय सेमिस्टर	**चतुर्थ सेमिस्टर**
2.	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–3 – अंग्रेजी भाषा –2 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–3 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–3 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–3	1. अनिवार्य आधार पाठक्रम–4 – पर्यावरण विज्ञान 2. मूल विषय–1: प्रश्नपत्र–4 3. मूल विषय–2: प्रश्नपत्र–4 4. मूल विषय–3: प्रश्नपत्र–4
	पंचम सेमिस्टर	**षष्ठम सेमिस्टर**
3.	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–1 2. ऐच्छिक विषय–1 3. ऐच्छिक विषय–2 4. ऐच्छिक विषय–3	1. ऐच्छिक आधार पाठक्रम–2 2. ऐच्छिक विषय–4 3. ऐच्छिक विषय–5 4. ऐच्छिक विषय–6

आधार पाठ्यक्रम

अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम	ऐच्छिक आधार पाठ्यक्रम
हिन्दी भाषा –1	कम्प्यूटर एप्लीकेशन–1
अंग्रेजी भाषा –1	कम्प्यूटर एप्लीकेशन–2
अंग्रेजी भाषा –2	व्यक्तित्व विकास
पर्यावरण विज्ञान	साफ्ट स्किल्स